सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार

प्रगति प्रतिवेदन

वर्ष 2011-2012

ध्येय : सभी के लिए खाद्य सुरक्षा

खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग, राजस्थान

राजस्थान सरकार

प्रगति प्रतिवदेन
वर्ष 2011–12

खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग

राजस्थान, जयपुर

—: अनुक्रमणिका :—

क्र.सं.	विवरण	पृष्ठ संख्या
1.	प्रस्तावना	1
2.	विभाग की स्थापना	1
3.	कार्य संपादन	2
4.	सार्वजनिक वितरण प्रणाली	2
5.	राशन कार्ड	3
6.	विभाग के अभिनव कार्य एवं योजनाएँ	4
7.	आवश्यक वस्तुओं का आवंटन, मापदण्ड एवं मूल्य	7
8.	चीनी	11
9.	केरोसीन	11
10.	एलपीजी	12
11.	उचित मूल्य दुकानों का आवंटन	13
12.	उपभोक्ता सुरक्षा	18
13.	उपभोक्ता संरक्षण	19
14.	राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम का गठन एवं उद्देश्य	23
15.	वास्तविक आय–व्यय एवं संशोधित प्रावधान	26
16.	सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005	26
17.	परिशिष्ट– 1 से 5	28–44

प्रस्तावना

क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य है। विषम भौगोलिक परिस्थितियों के इस प्रदेश में अधिकांश भाग रेगिस्तानी और कम वर्षा वाला है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की जनसंख्या 686.21 लाख है। इस जनसंख्या में 515.40 लाख ग्रामीण और 170.81 लाख शहरी क्षेत्र की जनसंख्या सम्मिलित है। राज्य के सभी श्रेणी के परिवारों यथा– बीपीएल, एपीएल, अन्त्योदय आदि के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली का क्रियान्वयन राज्य में आरम्भ से ही किया जा रहा है।

देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली का उद्गम 1960 के दशक में हुई खाद्यान्नों की अत्यधिक कमी से कमी वाले शहरी क्षेत्रों में खाद्यान्नों का वितरण करने पर ध्यान केन्द्रित करके हुआ था। इसके बाद हरित क्रांति के अंतर्गत चूंकि राष्ट्रीय कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई थी, इसलिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली का विस्तार 1970 और 1980 के दशकों मे आदिवासी ब्लाकों और अत्यधिक गरीबी वाले क्षेत्रों के लिए किया गया था। वर्ष 1992 तक सार्वजनिक वितरण प्रणाली विशेष लक्ष्यों के बगैर सभी उपभोक्ताओं के लिए एक सामान्य पात्रता योजना थी। सम्पुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली जून 1992 में सम्पूर्ण देश में प्रारंभ की गयी थी। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली जून 1997 में प्रारंभ की गई थी।

विभाग की स्थापना

सार्वजनिक वितरण प्रणाली कमी का प्रबंध करने और उचित मूल्यों पर खाद्यान्नों का वितरण करने के लिए तैयार की गयी थी। पिछले कुछ वर्षों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली देश में खाद्य अर्थव्यवस्था के प्रबंधन के लिए सरकार की नीति का महत्वपूर्ण अंग बन गई है। इसके अंतर्गत केन्द्र सरकार ने भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से खाद्यान्नों की खरीद, भंडारण, ढुलाई और बल्क आवंटन करने की जिम्मेदारी ले रखी है। राज्य के अंदर आवंटन, गरीबी रेखा से नीचे के परिवार की पहचान करने, राशन कार्ड जारी करने और उचित मूल्य दुकानों के कार्यकरण का पर्यवेक्षण करने सहित प्रचलनात्मक जिम्मेदारी खाद्य विभाग की है।

राज्य में वर्ष 1964 तक खाद्य एवं सहायता विभाग एक संयुक्त विभाग के रूप में कार्यरत रहे। वर्ष 1964 से सहायता विभाग से अलग होकर खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग पृथक से अस्तित्व में आया। वर्ष 1987 से विभाग द्वारा उपभोक्ता संरक्षण से संबंधित कार्य भी संपादित किए जा रहे हैं। दिनांक 21 जून 2001 को विभाग का नाम **'खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले'** विभाग किया गया।

विभाग द्वारा राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली का प्रभावी संचालन करने के साथ ही आवश्यक वस्तुओं की बाजार में उपलब्धता भी सुनिश्चित की जाती है। आवश्यक वस्तु

अधिनियम, 1955 एवं उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के क्रियान्वयन संबंधित कार्य भी विभाग द्वारा किये जाते है। प्रमुख रूप से विभाग के कार्य इस प्रकार से हैं –

- लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली का संचालन एवं क्रियान्वयन।
- केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित समर्थन मूल्य पर भारतीय खाद्य निगम के लिए राज्य एजेन्सियों के मार्फत खाद्यान्नों की खरीद।
- आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा जारी आदेशों का प्रवर्तन।
- उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 का क्रियान्वयन एवं उपभोक्ता आन्दोलन को गति देने के लिए विभिन्न गतिविधियों का क्रियान्वयन।

कार्य संपादन

उपरोक्त उद्धेश्यों की प्राप्ति के लिए खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा निम्नलिखित कार्य संपादित किये जाते हैं:–

- भारत सरकार से लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत वितरण योग्य आवश्यक वस्तुओं का राज्य की मांग के अनुरूप आवंटन प्राप्त करना एवं आवंटित वस्तुओं को उचित मूल्य दुकानों के माध्यम से निर्धारित दरों पर उपभोक्ताओं को वितरण कराना,
- समर्थन मूल्य नीति के अन्तर्गत खाद्यान्नों यथा– गेंहूँ, जौ, मक्का, बाजरा व धान (पैडी) की कीमत निर्धारित मूल्यों से कम होने पर किसानों के हित में भारत सरकार द्वारा घोषित समर्थन मूल्य पर भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से क्रय करने में सहयोग करना,
- आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 एवं इसके अन्तर्गत प्रसारित विभिन्न आदेशों के प्रवर्तन व कालाबाजारी निवारण एवं आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम, 1980 के आदेश के अन्तर्गत जमाखोरी व कालाबाजारी के विरूद्ध कार्यवाही करना,
- उपभोक्ता हितों के संरक्षण के लिए गठित राज्य आयोग एवं जिला मंचों की प्रशासनिक व्यवस्था संबंधी कार्य करना।
- उपभोक्ता आंदोलन को गति देने संबंधी कार्य करना।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत खाद्यान्नों के मूल्यों में वृद्धि को नियंत्रित करने और उपभोक्ताओं के लिए खाद्यान्नों की पहुंच सुनिश्चित करने में पर्याप्त रूप से

योगदान दिया है। देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बाद वर्ष 1997 में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की गई थी।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के प्रमुख रूप से निम्न उद्धेश्य हैं–

- आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना
- आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्यों को स्थिर रखना।
- कुछ मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से समाज के कमजोर वर्गों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करना।

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत राज्य में गेहूँ, चावल, चीनी एवं केरोसीन तेल उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से वितरित किये जाते हैं। उक्त वस्तुयें निर्धारित मात्रा में निश्चित मूल्य लेकर उपभोक्ताओं को राशन कार्ड के आधार पर दी जाती हैं। भारत सरकार से खाद्यान्न आवंटित किए जाने के आदेशों के पश्चात राज्य के जिलों हेतु खाद्यान्न नियत अवधि में उठाव व्यवस्था के साथ उप आवंटन जारी किया जाता है। जिलों में जिला कलक्टर्स द्वारा तहसील /पंचायत समिति अनुसार किये गये आवंटन के आधार पर संबंधित थोक विक्रेता के माध्यम से आवंटित वस्तुएं उचित मूल्य दुकान तक पहुंचाई जाती है। राज्य में वर्तमान (दिसम्बर, 2011) में कुल 176 थोक विक्रेता है।

आवश्यक वस्तुओं के वितरण के लिए राज्य में कुल 24112 उचित मूल्य की दूकाने स्थापित है, जिनमे से 5499 शहरी क्षेत्र में एवं 18613 दुकाने ग्रामीण क्षेत्र में कार्यरत है। विभाग के आदेश 15.11.2002 द्वारा भारत सरकार के दिशा–निर्देशों के अनुरूप विशेष भौगोलिक परिस्थितियों में 2000 ईकाइयों पर भी उचित मूल्य की दुकान खोली जा सकती है। जिलेवार उचित मूल्य दुकानों की सूचना परिशिष्ठ "2" पर अंकित हैं।

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के उपभोक्ताओं को खाद्यान्नों की पहुँच सुनिश्चित करने हेतु राज्य में राशन टिकिट व्यवस्था लागू की गई है ताकि खाद्य सामग्री की लाभार्थी तक पहुंच सुनिश्चित हो सके। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत 2011–12 में विभिन्न खाद्यान्न योजनाओं मे अप्रेल, 11 से दिसम्बर,11 तक आवंटन–उठाव परिशिष्ठ 1 "ब" पर अंकित है।

राशन कार्ड

राज्य में पृथक–पृथक श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिये पृथक–पृथक रंगों के राशन कार्ड दिये जाने की व्यवस्था प्रकार है :–

योजना (परिवार)	राशन कार्ड का रंग	योजना की पात्रता (योग्यता)
1–एपीएल क–डबल गैस सिलेण्डर धारक ख–सिंगल गैस सिलेण्डर धारक	 नीला हरा	 सामान्य उपभोक्ता सामान्य उपभोक्ता

2– बीपीएल	गहरा गुलाबी	ग्राम सभा/नगर निगम/नगर पालिका द्वारा चयनित बीपीएल परिवार।
3–स्टेट बीपीएल	गहरा हरा	ग्राम सभा/नगर निगम/नगर पालिका द्वारा चयनित स्टेट बीपीएल परिवार।
4– अन्त्योदय अन्न योजना	पीला	ग्राम सभा/नगर निगम/नगर पालिका द्वारा चयनित अंत्योदय अन्न परिवार

राशन कार्डों की श्रेणीवार संख्या निम्नानुसार है :–

- ए.पी.एल. : 127.45 लाख
- बी.पी.एल. : 18.27 लाख
- स्टेट बीपीएल : 11.24 लाख
- अन्त्योदय अन्न योजना : 9.32 लाख
- अन्नपूर्णा : 1.05 लाख

विभाग के अभिनव कार्य एवं योजनाऐं

राज्य में राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारन्टी अधिनियम, 2011 दिनांक 14.11.2011 से प्रभावी हो गया है। इस अधिनियम के अन्तर्गत विभाग से संबंधित राशन कार्ड जारी करने का बिन्दु है। इस अधिनियम, 2011 के सन्दर्भ में प्राप्त आवेदन पत्रों पर निर्धारित समयावधि में राशनकार्ड जारी करने की कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु विभागीय आदेश क्रमांक एफ 97(1)खावि/साविप्र/2010–11 दिनांक 11.11.2011 द्वारा सभी जिला कलक्टरों/ जिला रसद अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए हैं तथा राज्य में राशन कार्ड जारी करने के लिए निम्नांकित अधिकारियों को प्राधिकृत किया गया है :–

1.	जिला मुख्यालय नगरपालिका क्षेत्र में	जिला रसद अधिकारी/क्षेत्रीय रसद अधिकारी
2.	शेष नगरपालिका क्षेत्र में	नगरपालिका बोर्ड अधिशाषी अधिकारी/आयुक्त
3.	ग्रामीण क्षेत्र के लिए	विकास अधिकारी, संबंधित पंचायत समिति
4.	राज्य सरकार द्वारा विशेष रूप से अधिकृत कोई भी अन्य अधिकारी	

समस्त प्राधिकृत अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि प्राप्त आवेदन पत्रों पर नियमानुसार कार्यवाही कर उक्त अधिनियम के अन्तर्गत नियत 7 दिवस की अवधि में राशन कार्ड बनाये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित करें। इस कार्य हेतु जिलों में उपलब्ध राशन कार्ड काम में लिये जावे। आवश्यकता होने पर स्वायत्तशाषी संस्थाओं/पंचायत समितियों/नगरपालिका/नगर परिषद द्वारा राशन कार्ड छपवाकर कार्यवाही सुनिश्चित की जावे।

राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान करने की गारंटी अधिनियम के क्षेत्राधिकार में दी जाने वाली सेवाएं, अवधि एवं उनके लिए निर्धारित किए जाने वाले पदाभिहित अधिकारी/सहायक पदाभिहित अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी का विवरण परिशिष्ठ "1" पर संलग्न है।

उपखण्ड अधिकारियों को खण्ड 8 व 9 के अधीन शक्तियॉं

विभाग द्वारा दिनांक 17.01.2012 को अधिसूचना जारी की जाकर जिला मुख्यालय को छोड़कर अन्य समस्त उपखण्ड अधिकारियों को अपने–अपने क्षेत्राधिकार में राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश, 1976 के खण्ड़ 8 और 9 के अधीन शक्तियॉं प्रदत्त की गई हैं, जिसके तहत अपने क्षेत्र के अन्तर्गत अनियमितता पाए जाने पर उचित मूल्य दुकान के प्राधिकार पत्र को निलम्बित कर सकेंगे एवं विभागीय प्रकरण दर्ज कर सकेंगे। समस्त उपखण्ड अधिकारी इस कार्य हेतु अपने क्षेत्र के अन्तर्गत 15 उचित मूल्य की दुकानों का मासिक निरीक्षण करेंगे।

विभागीय परिपत्र दिनांक 23.12.2011 द्वारा उपखण्ड अधिकारियों को यह भी निर्देशित किया गया है कि वे सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत गेहूँ, केरोसीन एवं चीनी के अतिरिक्त फोर्टीफाईड आटा, आयोडिनयुक्त नमक, चाय आदि अन्य गैर पीडीएस सामग्री पर भी निगरानी रखेंगे।

गैस सिलेण्डर के 15 किमी. से अधिक दूरी पर अतिरिक्त परिवहन व्यय की समाप्ति

विभाग द्वारा आदेश दिनांक 23.12.2011 जारी करते हुए तेल विपणन कम्पनियों के रसोई गैस वितरकों को यह निर्देश जारी किए गए हैं, कि गैस वितरक 15 किमी. की परिधि से अधिक दूरी पर पंजीकृत उपभोक्ताओं के पते पर होम डिलीवरी करता है, तो उसे घरेलू गैस सिलेण्डर की निर्धारित दर रूपये 08/– प्रति सिलेण्डर से कोई अतिरिक्त परिवहन व्यय देय नहीं होगा अर्थात् निर्धारित खुदरा मूल्य पर ही वितरण किया जावेगा।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली का कम्प्यूटरीकरण

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत वितरण की जा रही खाद्य एवं अन्य पीडीएस सामग्री की लक्षित समूह तक पहूँच को सुनिश्चित करने तथा विपथन को रोकने के उद्देश्य से कम्प्यूटरीकरण का कार्य प्रारम्भ किया गया है। खाद्य एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के संयुक्त दल ने छतीसगढ़ राज्य का भ्रमण कर वहॉं अपनाई गयी कम्प्यूटरीकरण प्रक्रिया का अध्ययन किया। राजकॉम्प के द्वारा मै. अर्न्स्ट एण्ड यंग कम्पनी को विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने हेतु नियुक्त किया गया, जिसके द्वारा विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार की जा चुकी है। छत्तीसगगढ़ पैटर्न पर राज्य के जयपुर, जोधपुर एवं उदयपुर जिले में बल्क एसएमएस व्यवस्था को लागू किया गया है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के समयबद्ध तरीके से कम्प्यूटराईज करने तथा प्रगति की समीक्षा करने हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता

में राज्य स्तरीय उच्च समिति का गठन किया गया है जिसमें अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त), शासन सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार, राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी (एनआईसी) तथा अतिरिक्त खाद्य आयुक्त सदस्य हैं। इस उच्च स्तरीय समिति के सदस्य सचिव, प्रमुख शासन सचिव, खाद्य हैं।

ग्राम पंचायतों को अधिकार

विभागीय परिपत्र दिनांक 11.01.2012 द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली में पारदर्शिता एवं जवाबदेही लाने हेतु प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के समस्त उचित मूल्य दुकानदार अपने संबंधित ग्राम पंचायत की प्रत्येक माह की 5 तारीख को आयोजित बैठक में गत माह के दौरान अपनी दुकान में वितरित होने वाली सभी पी.डी.एस. एवं गैर पी.डी.एस. सामग्री के आवंटन, उठाव, वितरण एवं माह के अन्त में शेष सामग्री की मासिक सूचना सहित आवश्यक रूप से उपस्थित होने एवं ग्राम पंचायत को उपरोक्तानुसार समस्त जानकारी उपलब्ध कराने तथा वितरण व्यवस्था का सत्यापन सरपंच, ग्राम पंचायत से कराने हेतु निर्देशित किया गया है।

शुद्ध के लिए युद्ध अभियान

राज्य सरकार द्वारा खाद्य पदार्थों की कालाबाजारी, जमाखोरी व मिलावट एवं दुरूपयोग को रोके जाने तथा प्रभावी नियंत्रण बनाये रखने के लिए दिनांक 22 जून, 2009 से "शुद्ध के लिए युद्ध अभियान" चलाया जा रहा है। उक्त अभियान के सार्थक परिणामों को देखते हुए जनहित में इस अभियान को निरन्तर चलाये जाने का निर्णय लिया गया है। यह अभियान खाद्य, उद्योग, कृषि, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, स्वायत्त शासन तथा पशु पालन एवं डेयरी विभाग के समन्वय से संयुक्त रूप से चलाया जा रहा है। इस अभियान के अन्तर्गत खाद्य विभाग नोडल विभाग के रूप में कार्य कर रहा है। 22 जून, 2009 से 30 दिसम्बर, 2011 तक "शुद्ध के लिए युद्ध अभियान" के अन्तर्गत की गई कार्यवाही का विवरण परिशिष्ठ – 1(अ) पर संलग्न है। दिनांक 06.02.2011 से पैट्रोलियम पदार्थों में मिलावट की जॉच हेतु तेल कम्पनियों के साथ संयुक्त जॉच अभियान प्रारम्भ किया गया, जिसके लिए मुख्यालय स्तर पर दो सतर्कता दल बनाये गये, जिनके साथ पैट्रोलियम पदार्थों की दो मोबाईल दल भी साथ रही।

फोर्टीफाईड आटा वितरण

राज्य सरकार ने गेहूँ के स्थान पर आटा वितरण योजना वर्ष 2009 में प्रारम्भिक तौर पर संभागीय मुख्यालयों से शुरू की, जिसे चरणबद्ध तरीके से सभी जिला मुख्यालयों, उपखण्ड, तहसील, पंचायत समिति, नगर पालिका मुख्यालयों पर आटा योजना का विस्तार किया गया। वर्तमान में राज्य के एपीएल श्रेणी के उपभोक्ताओं हेतु प्राप्त सम्पूर्ण गेहूँ का फोर्टीफाईड आटा तैयार कर वितरण किए जाने के निर्देश जारी किए गए हैं। फोर्टीफाईड

आटे में गेहूँ के आटा के अलावा पोषक तत्व यथा– आयरन, फौलिक एसिड तथा विटामिन बी12 मिलाये जाते हैं।

आवश्यक वस्तुओं का आवंटन, मापदण्ड एवं मूल्य

राज्य में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत विभिन्न श्रेणी के लाभार्थियों निम्नलिखित प्रकार से खाद्यान्न एवं अन्य सामग्री उपलब्ध करायी जा रही है–

1. राज्य के बीपीएल एवं स्टेट बीपीएल परिवारों को मुख्य मंत्री अन्न सुरक्षा योजना के अन्तर्गत प्रति माह 25 किग्रा. गेहूँ 2 रूपये प्रति किग्रा. की दर से उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके अतिरिक्त राज्य के 7 जिलों यथा– बॉसवाड़ा, डूँगरपुर, उदयपुर, सिरोही, करौली, झालावाड़ तथा प्रतापगढ़ के बीपीएल एवं स्टेट बीपीएल परिवारों को प्रति माह 10 किग्रा. गेहूँ 4.75 रूपये प्रति किग्रा. की दर से उपलब्ध कराया जा रहा है।
2. अन्नपूर्णा परिवारों को प्रति माह 10 किग्रा. गेहूँ प्रति परिवार निःशुल्क उपलब्ध कराया जा रहा है।
3. अन्त्योदय परिवारों को प्रति माह 35 किग्रा. गेहूँ 2 रूपये किग्रा. की दर से प्रति परिवार उपलब्ध कराया जा रहा है।
4. एपीएल परिवारों को 'पहले आओ पहले पाओ' सिद्धान्त के आधार पर प्रति माह 15 किग्रा. गेहूँ अथवा 20 किग्रा. फोर्टीफाईड आटा निर्धारित दर पर उपलब्ध कराया जा रहा है।
5. बी.पी.एल. परिवारों (अन्त्योदय अन्न योजना चयनित परिवारों सहित) को चीनी 500 ग्राम प्रति ईकाई प्रति माह, रूपये 13.50 प्रति किलोग्राम की दर से वितरित की जाती है।
6. नीला केरोसीन (डबल गैस सिलेण्डर धारक को छोड़कर) सिंगल गैस सिलेण्डर धारक को 2 लीटर एवं शेष सामान्य राशन कार्डधारी उपभोक्ताओं को केरोसीन 3 लीटर प्रतिमाह प्रति राशन कार्ड पर उपलब्धता के आधार पर समान मात्रा में 15.25 रूपये प्रति लीटर की दर से उपलब्ध कराया जाता है।

एपीएल परिवारों को खाद्यान्न आवंटन

सामान्य वर्ग के लोगों को एपीएल श्रेणी का माना गया है। वर्तमान में राज्य के एपीएल परिवारों को इस विभाग द्वारा खाद्यान्न का आवंटन किया जा रहा है। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत एपीएल परिवारों को 15 किलो. गेहूँ अथवा 20 किलो. आटा "पहले आओ, पहले पाओ" के सिद्धान्त के आधार पर प्रति परिवार प्रतिमाह उपलब्ध करवाया जा रहा है। वर्तमान में सभी जिला रसद अधिकारियों को एपीएल गेहूँ के स्थान पर सम्पूर्ण मात्रा का फोर्टीफाईड आटा वितरण करने के निर्देश जारी किए गए हैं।

वर्तमान में केन्द्र सरकार द्वारा राज्य के एपीएल परिवारों के लिये 64,360 मैं. टन गेंहूँ प्रतिमाह आवंटित किया जा रहा है तथा इसके अलावा विशेष तदर्थ आवंटन में 32,180 मै.टन प्रति माह अतिरिक्त गेहूँ प्राप्त हो रहा है जिसे राज्य के सभी लाभार्थियों को वितरण किया जा रहा है।

पूर्व में एपीएल विशेष तदर्थ टीपीडीएस आवंटन में 1,00,000 मै. टन एक मुश्त गेहूं अगस्त, 2011 से दिसम्बर, 2011 तक की अवधि हेतु प्राप्त हुआ था, जिसे राज्य के सभी लाभार्थियों में गेहूँ एवं आटे के रूप में वितरण कराया गया।

बीपीएल परिवारों हेतु खाद्यान्न का आवंटन

सार्वजनिक वितरण प्रणाली व्यवस्था में सुधार किये जाने के परिप्रेक्ष्य में राज्य में दिनांक 10 मई, 2010 से "मुख्यमंत्री अन्न सुरक्षा योजना" का शुभारम्भ किया गया है। इस योजना में राज्य के बी.पी.एल एवं स्टेट बीपीएल वर्ग के परिवारों को अन्न सुरक्षा प्रदान करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता के आधार पर 2 रूपये प्रति किलोग्राम की दर पर 25 कि.ग्रा गेहूँ प्रति परिवार प्रति माह उपलब्ध करवाया जा रहा है। इस योजना के अन्तर्गत राज्य के 38.83 लाख बीपीएल तथा स्टेट बीपीएल परिवारों को लाभान्वित किया जा रहा है। इस मद में राज्य सरकार द्वारा प्रति वर्ष लगभग 350 करोड़ रूपये खर्च वहन किया जा रहा है। बजट घोषणा 2011–12 के अनुसार बीपीएल/स्टेट बीपीएल में नये जुड़े परिवारों को इस योजना के अन्तर्गत खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाना आरम्भ किया जा चुका है।

राज्य को बीपीएल परिवारों हेतु भारत सरकार से नियमित योजनान्तर्गत 52,461 मै.टन गेहूँ प्रति माह 4.15 रूपये प्रति किलो. की निर्गम दर पर प्राप्त हो रहा है। वित्तीय वर्ष 2011–12 में बीपीएल लाभार्थियों हेतु विशेष तदर्थ अतिरिक्त आवंटन के रूप में 1,86,420 एवं 50,000 मै.टन गेहूँ का एक मुश्त आवंटन प्राप्त हुआ, जिसका राज्य के सभी बीपीएल एवं स्टेट बीपीएल परिवारों में समानुपातिक रूप से वितरण करवाया गया। इसके अतिरिक्त राज्य के 7 जिलों यथा– बांसवाड़ा, डूँगरपुर, उदयपुर, सिरोही, करौली, झालावाड़ तथा प्रतापगढ़ के लिए माह अगस्त, 2011 से प्रति माह 8423 मै.टन अतिरिक्त गेहूँ प्राप्त हो रहा है जो राज्य के इन 7 जिलों के बीपीएल एवं स्टेट बीपीएल लाभार्थियों को उपर्युक्त 25 किलो. के अतिरिक्त 10 किलो प्रति माह 4.75 रूपये प्रति किलो. की दर से उपलब्ध कराया जा रहा है।

सहरिया/कथौडी जाति को निःशुल्क खाद्यान्न

माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा की गई बजट घोषणा के अनुसार राज्य के बांरा जिले के किशनगंज एवं शाहबाद पंचायत समिति की सहरिया जनजाति के 18748 परिवारों तथा उदयपुर जिले के कथौडी जनजाति के 1080 परिवारों को 35 कि.ग्रा गेंहूँ निःशुल्क उपलब्ध कराया जा रहा है। इस मद में प्रतिवर्ष लगभग 2.60 करोड़ रूपये का व्यय वहन किया जा रहा है।

अन्त्योदय अन्न योजना

यह योजना मार्च, 2001 में प्रारम्भ की गई है जो राज्य के ग्रामीण व शहरी क्षेत्र के निर्धनतम वर्ग को खाद्यान्न सुरक्षा उपलब्ध कराती है। इस योजना के अन्तर्गत राज्य के चयनित अन्त्योदय अन्न परिवारों को प्रति माह 35 किलो. ग्राम गेहूँ 2 रूपये प्रति किलो की दर से उपलब्ध कराया जा रहा है।

योजना में प्रारंभ से लाभान्वितों का विवरण निम्नानुसार है –

चयन हेतु अनुमत संख्या		चयनित परिवार (लाख)
सामान्य	3,72,600	3,72,600
प्रथम विस्तार 2003–2004	1,86,500	1,86,500
द्वितीय विस्तार 2004–2005	1,79,000	1,79,000
तृतीय विस्तार 2005–2006	1,94,000	1,94,000
महायोग	9,32,100	9,32,100

अन्त्योदय परिवारों हेतु भारत सरकार से प्रति माह 32,624 मै.टन गेहूँ का आवंटन नियमित रूप से प्राप्त हो रहा है जिसका राज्य के सभी अन्त्योदय परिवारों में वितरण करवाया जा रहा है।

अन्नपूर्णा योजना

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) के अंतर्गत 65 वर्ष से अधिक आयु के असहाय वृद्ध व्यक्तियों को जो वृद्धावस्था पेंशन प्राप्त करने के पात्र हैं, लेकिन उन्हें राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन अथवा राज्य वृद्धावस्था पेंशन दोनों में से कोई भी नहीं मिल रही है, ऐसे पात्र व्यक्तियों को अधिकारिता पत्र (गुलाबी रंग का प्राधिकार पत्र) के आधार पर 10 किलोग्राम गेहूँ प्रति माह निःशुल्क दिये जाने का प्रावधान है। इस योजना अन्तर्गत चयनित व्यक्तियों को गेहूँ का वितरण प्रति माह किया जाता है। वर्तमान में वर्ष 2001–02 में चयनित व्यक्तियों के लिए ही भारत सरकार द्वारा खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है।

योजना में लाभान्वितों का विवरण निम्नानुसार है :–

चयनित वर्ष	चयनित लाभान्वित संख्या	10 किलो प्रति माह के अनुसार मांग (kg. प्रति माह)	वर्तमान आवंटन (प्रति माह.) (मै. टन)	दर
2001–02	105293	1052930	848.281	निःशुल्क

योजना में 2011–12 में आवंटन एवं उठाव **परिशिष्ठ – 1"ब"** एवं योजनावार परिवारों की सूची **परिशिष्ठ – 1"स"** पर स्थित है।

राशन टिकट योजना

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत बीपीएल, अन्त्योदय योजना के राशन कार्डधारकों एवं अन्नपूर्णा के अधिकार पत्रधारियों को वितरित किये जाने वाले खाद्यान्नों को लक्षित समूह तक पहुंच सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राशन टिकिट योजना लागू की गई है। बीपीएल, स्टेट बीपीएल, अन्त्योदय एवं अन्नपूर्णा योजना के पूर्व अंकित मात्रा के राशन टिकिट वर्ष 2011–12 के लिए सभी जिला रसद अधिकारियों को वितरण किये जाने हेतु उपलब्ध कराये जा चुके हैं, जिन पर खाद्यान्न वितरण किया जा रहा है। बीपीएल /स्टेट बीपीएल/अन्त्योदय अन्न योजना /अन्नपूर्णा योजना के उपभोक्ताओं द्वारा उचित मूल्य दुकानदार को राशन कार्ड के साथ राशन टिकिट उपलब्ध कराने पर ही खाद्यान्न उपलब्ध कराया जावेगा।

फूड स्टेम्प योजना

आपदा एवं प्रबन्धन एवं सहायता विभाग द्वारा वर्ष 2004 में "भूख से मुक्ति" हेतु फूड स्टेम्प योजना प्रारम्भ की गई थी जिसका क्रियान्वयन खाद्य विभाग द्वारा किया जा रहा है। इस फूड स्टेम्प योजना के अन्तर्गत समस्त ग्राम पंचायतों को 10–10 किलोग्राम के 100 फूड स्टेम्प प्रति वर्ष उपलब्ध कराये जा रहे हैं। खाद्यान्न के अभाव में भूख से पीड़ित किसी भी व्यक्ति को तात्कालिक सहायता के रूप में 10 किलोग्राम गेहूँ का फूड स्टेम्प दिया जाता है। इस फूड स्टेम्प के आधार पर पीड़ित व्यक्ति उचित मूल्य की दुकान से बिना कोई भुगतान किये (निःशुल्क) 10 किलो गेहूँ वर्ष में एक बार प्राप्त कर सकता है।

समर्थन मूल्य के अन्तर्गत खरीद

किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य प्राप्त हो व अनुचित व्यापारिक प्रवृतियों से किसानों की सुरक्षा की जावे, इसी दृष्टिकोण को मद्देनजर रखते हुए भारत सरकार द्वारा समय–समय पर कृषि जिन्सों के समर्थन मूल्य की घोषणा की जाती है। विभाग द्वारा भारतीय खाद्य निगम के लिए राज्य एजेन्सियों के मार्फत न्यूनतम समर्थन मूल्य पर निम्न जिंसों की खरीद (प्रोक्योरमेंट) की जाती है–

रबी फसल– गेहूँ व जौ, धान (पैडी)

खरीफ फसल में मोटे अनाज यथा बाजरा, ज्वार व मक्का

(अ) विपणन वर्ष 2010–11 एवं 2011–12 में भारत सरकार द्वारा रबी एवं खरीफ के लिए निम्न प्रकार समर्थन मूल्य घोषित किये गये हैं:–

(समर्थन मूल्य रूपये प्रति क्विंटल में)

		वर्ष 2010–2011	वर्ष 2011–12
रबी	गेहूँ	1100	1120
	जौ	750	780
खरीफ (मोटे अनाज)	बाजरा व ज्वार	880	980
	मक्का	880	980

भारतीय खाद्य निगम, राजफैड एवं तिलम संघ द्वारा राज्य में रबी विपणन वर्ष 2010–11 में 4,75,894 मै. टन गेहूँ एवं वर्ष 2011–12 मे 13,02,367 मै. टन गेहूं की समर्थन मूल्य पर खरीद की गई है। खरीफ विपणन वर्ष 2010–11 में बाजरा की 17.95 मै.टन एवं वर्ष 2011–12 में बाजरे की समर्थन मूल्य पर 94.65 मै.टन खरीद की गई।

(ब) पैडी (धान)–

पैडी/धान का समर्थन मूल्य भारत सरकार द्वारा वर्ष 2011–12 में निम्न प्रकार से निर्धारित किया गया–

धान	दर रूपये प्रति क्विंटल
कामन	1080
ग्रेड–ए	1110

चीनी

केन्द्र सरकार द्वारा राज्य को वर्ष 01.03.2000 की बीपीएल जनसंख्या के आधार पर फरवरी, 2001 से लगभग 7460 मै. टन लेवी चीनी का आवंटन प्राप्त हो रहा था, जिसे बीपीएल राशन कार्डधारकों (अन्त्योदय अन्न योजना चयन परिवारों सहित) को प्रति माह 500 ग्राम चीनी प्रति यूनिट 13.50 रूपये प्रति किलोग्राम की दर से उपलब्ध कराया जा रहा था। अप्रैल, 2011 से राज्य को 7464 मै. टन लेवी चीनी का आवंटन प्राप्त हो रहा है तथा अक्टूबर, 2011 व नवम्बर, 2011 में कमशः 10015 मै. टन व 10014 मै. टन चीनी का आवंटन प्राप्त हुआ है। इसमें सुरक्षा बलों का कोटा भी शामिल है। इसे सभी जिलों को समानुपातिक रूप से आवंटित कर दिया जाता है। वर्षवार चीनी के आवंटन एवं उठाव की स्थिति परिशिष्ठ – 1"द" पर संलग्न है।

विभागीय परिपत्र संख्या एफ. 17(45)खा.वि./विधि/76–ा दिनांक 24.02.05 द्वारा घर से दूर अध्ययनरत छात्रों को प्रति राशन कार्डवार 500 ग्राम की मात्रा में प्रति माह लेवी चीनी उपलब्ध कराई जाने का प्रावधान किया गया है। जिलों में छात्रों के राशन कॉर्ड बनाये जाने हेतु उनके संस्था/स्कूल/कॉलेज प्रमुखों को प्राधिकृति किया हुआ है तथा समस्त जिला रसद अधिकारियों को नोड़ल अधिकारी के रूप में नियुक्त किया हुआ है।

केरोसीन

राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत भारत सरकार के पैट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, नई दिल्ली से माह जुलाई, 2011 से (त्रैमासिक रूप में) प्रति माह 42612 के.एल. केरोसीन का आवंटन प्राप्त हो रहा है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत प्राप्त नीला केरोसीन केवल खाना पकाने एवं रोशनी के उद्देश्य से वितरण कराया जाता है। प्राप्त आवंटन का एक निर्धारित प्रक्रिया के अन्तर्गत जिलों को उप आवंटन किया

जाता है। वर्तमान में रसोई गैस के डी.बी.सी. होल्डर्स राशन कार्डधारी उपभोक्ताओं को केरोसीन नहीं दिया जाता है। रसोई गैस के सिंगल गैस कनेक्शन राशन कार्ड उपभोक्ताओं को दो लीटर प्रति माह प्रति राशन कार्ड तथा शेष सामान्य राशन कार्डधारी उपभोक्ताओं को 3 लीटर प्रति माह प्रति राशन कार्ड की मात्रा में वितरण किया जाता है। वर्षवार केरोसीन के आवंटन व उठाव की सूचना **परिशिष्ठ 1"य"** पर संलग्न है।

केरोसीन का डायवर्जन रोकने के लिए केरोसीन के डीलरों को भूमिगत स्टोरेज टैंक बनाने के लिए आदेश जारी किए हुए हैं तथा जिला कलक्टर्स को भी यह निर्देशित किया हुआ है कि रूट चार्ट बनाकर जो भी टेंकर तेल कम्पनी से तेल लेकर रवाना होता है वह इसकी सूचना कलक्टर को दे और कलक्टर रूट चार्ट के अनुसार संबंधित तहसील /एस.डी.ओ. को निर्देश देवें कि टेंकर आ रहा है जिसका सत्यापन किया जावे और एस. डी.ओ. कम्प्यूटर से ट्रांसमिशन करेंगे कि कौन–सा टैंकर कब और कहॉ के लिए रवाना हो रहा है।

वर्तमान में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत केरोसीन का राज्य में समान दर से वितरण कराने हेतु माह जून, 2011 से केरोसीन की समान वितरण दर 15.25 रूपये प्रति लीटर कर दी गयी है।

केरोसीन अनुदान राशि बाबत पायलट प्रोजेक्ट योजना

भारत सरकार द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अनुदानित केरोसीन का लाभार्थियों को सीधे ही लाभ दिलाए जाने, कालाबाजारी एवं डाईवर्जन को रोके जाने के उद्देश्य से बजट घोषणा 2011–12 में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत अनुदानित केरोसीन के वितरण के स्थान पर अनुदान राशि का उपभोक्ताओं के बैंक खाते में सीधे ही हस्तानान्तरण करने के बारे में घोषणा की गई है। इस हेतु राज्य के अलवर जिले की कोटकासिम तहसील को पायलट प्रोजेक्ट में चयनित किया गया है तथा कोटकासिम तहसील में माह दिसम्बर, 2011 से पायलट प्रोजेक्ट प्रारम्भ कर दी गई है। दिनांक 03.02. 2012 तक 13700 खाते खुलवाए जा चुके हैं। प्रतिमाह के हिसाब से तीन माह (दिसम्बर, 2011 से फरवरी, 2012 तक के लिए) हेतु इन खातों में 15,25,920/– रूपये की अनुदानित राशि हस्तानान्तरित की जा चुकी है। इस कार्यक्रम का सॉफ्टवेयर तैयार करने हेतु आदेश दिए जा चुके हैं। इस प्रयोजना हेतु अलवर जिले को 55 लाख रूपये हस्तान्तरित किए जा चुके हैं।

एल.पी.जी.

घरेलू गैस रिफिल का राज्य में पंजीकृत उपभोक्ताओं की मांग के अनुसार नियमित रूप से उपलब्धता के संबंध में राज्य सरकार पूर्ण रूप से सतर्क है। घरेलू गैस का व्यावसायिक ईंधन के रूप में प्रयोग को रोकने के संबंध में राज्य सरकार द्वारा विभिन्न

प्रभावी कदम उठाये गये हैं तथा जिला प्रशासन एवं तेल कम्पनियों को निर्देशित किया गया है। सभी जिलों में मिठाई की दुकानों, रेस्टोरेंट, वाहनों में दुरूपयोग आदि पर घरेलू गैस सिलेण्डरों का उपयोग करने पर द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण का विनियमन) आदेश, 2000 के अंतर्गत कार्यवाही कर प्रकरण बनाये गये है। घरेलू गैस सिलेण्डर 14.2 किलोग्राम एवं वाणिज्यिक गैस सिलेण्डर 19 किलोग्राम में उपलब्ध हैं। राज्य में कुकिंग गैस (एलपीजी) का वितरण आईओसी, एचपीसी एवं बीपीसी तेल कम्पनियां कर रही हैं। उपरोक्त कम्पनियों से प्राप्त सूचना के अनुसार अक्टूबर, 2011 तक कुल 60,02,000 घरेलू गैस कनेक्शन हैं जिनमें से 32,45,000 डीबीसी एवं 27,57,000 सिंगल गैस कनेक्शन जारी किए हुए है।

राज्य स्तरीय समन्वयक एवं तेल विपणन कम्पनियों के अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे उपभोक्ताओं को रसोई गैस की समुचित आपूर्ति करें तथा आवश्यकतानुसार उपभोक्ताओं को तत्काल नये गैस कनेक्शन जारी करें। साथ ही बैकलॉग खत्म किये जाने एवं सिलेण्डर पर टॉल फ्री नम्बर अंकित करने के निर्देश दिए गए। प्रदेश में गैस एजेन्सियों द्वारा नये गैस कनेक्शन जारी करने पर निर्धारित प्रतिभूति राशि के अतिरिक्त कोई अन्य वस्तु जैसे– हॉटप्लेट, प्रेशर कूकर, उपभोक्ताओं को चाय, चावल, चीनी, दाल, माचिस और साबुन इत्यादि लेने को मजबूर करने की शिकायत मिलने पर गैस एजेन्सी के विरूद्ध कार्यवाही की जाये तथा जुर्माना से लेकर लाईसेंस निलम्बित /निरस्त करने तक की कार्यवाही की जाये।

उचित मूल्य दुकानों का आवंटन

माह दिसम्बर, 2011 को कार्यरत उचित मूल्य की दुकानों की जिलेवार स्थिति परिशिष्ठ – 2 पर संलग्न है। उचित मूल्य की दुकान आँवटन के लिए रिक्त/उपलब्ध होने पर जिला रसद अधिकारी द्वारा सार्वजनिक विज्ञप्ति जारी कर आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है। उचित मूल्य दुकानों के आवंटन के लिए जिला रसद अधिकारी की अध्यक्षता में उचित मूल्य दुकान आवंटन सलाहकार समिति गठित की हुई है। इस समिति का शहरी/ग्रामीण क्षेत्रो के लिए निम्न प्रकार गठन किया हुआ है:–

- नगरीय क्षेत्रों हेतु–

(क)	जिला रसद अधिकारी		अध्यक्ष
(ख)	नगर निगम/परिषद/पालिका के अध्यक्ष/प्रशासक या उनके द्वारा मनोनीत जनप्रतिनिधी/अधिकारी		सदस्य
(ग)	तहसीलदार		सदस्य
(घ)	राज्य सरकार द्वारा मनोनीत उसी क्षेत्र के–		
	(i) सामाजिक कार्यकर्ता	एक	सदस्य
	(ii) उपभोक्ता	एक	सदस्य
	(iii) महिला उपभोक्ता	एक	सदस्य

- ग्रामीण क्षेत्रों हेतु–

(क)	जिला रसद अधिकारी		अध्यक्ष
(ख)	संबंधित ग्राम पंचायत का सरपंच		सदस्य
(ग)	तहसीलदार		सदस्य
(घ)	राज्य सरकार द्वारा मनोनीत उसी क्षेत्र के–		
	(i) सामाजिक कार्यकर्ता	एक	सदस्य
	(ii) उपभोक्ता	एक	सदस्य
	(iii) महिला उपभोक्ता	एक	सदस्य

विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 17(1) खा.वि/विधि/2008 दिनांक 27.02..2009 के द्वारा आवंटन सलाहकार समिति के सदस्यों के मध्य किसी व्यक्ति /संस्था पर सहमति अथवा पात्रता के बारे में मतभेद होने पर कमेटी द्वारा की गई अभिशंषा को जिला कलक्टर के समक्ष प्रस्तुत किया जावेगा। जिला कलक्टर ऐसे प्रकरणो को स्वंय के स्तर पर गुणावगुण के आधार पर निर्णित करेगे। आवंटन सलाहकार समिति प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार कर अपनी अभिशंषा जिला कलक्टर को प्रस्तुत करेगी। व्यक्तिगत साक्षात्कार द्वारा आवेदकों के प्रार्थना पत्रो पर विचार के समय निम्न प्राथमिकता क्रम को ध्यान में रखा जायेगा।

1. "महिला स्वयं सहायता समूह जो राज्य सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग या अन्य किसी विभाग के अन्तर्गत राजकीय कार्यक्रमों के संचालन हेतु चयनित अथवा मान्यता प्राप्त हो।"
2. सहकारी समितियां (जो कि सहकारी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत हैं)
3. शिक्षित बेरोजगार
4. अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्ति
5. महिलायें–विधवा एवं परित्यक्त महिलाओं को प्राथमिकता दी जावेगी।
6. भूतपूर्व सैनिक अथवा उनकी विधवा।
7. (i) जनजाति उपयोजना के अनुसूचित क्षेत्रों की उचित मूल्य दुकानों में से 40 प्रतिशत स्थानीय अनुसूचित जनजाति के आवेदकों को, 5 प्रतिशत अनुसूचति जाति के आवेदकों को और 5 प्रतिशत स्थानीय अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदकों को आवंटित की जावेगी।

   (ii) बारां जिले की किशनगंज एवं शाहबाद तहसील क्षेत्रों की उचित मूल्य दुकानों में से 40 प्रतिशत दुकानें स्थानीय सहरिया आदिम जाति के आवेदकों को, 5 प्रतिशत

स्थानीय अनुसूचित जाति के आवेदकों को और 5 प्रतिशत स्थानीय अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदकों को आवंटित की जावेंगी।

- उचित मूल्य दुकानदार की मृत्यु होने की स्थिति में उसके आश्रितों को प्राथमिकता क्रम के आधार पर उचित मूल्य दुकान आवंटित किये जाने का प्रावधान है।
- महिला स्वयं सहायता समूह जो राज्य सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग से पंजीकृत हों तथा सहकारी समितियाँ जो सहकारी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत हों, की भागीदारी बढ़ाने तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कम्प्यूटराईजेशन एवं अन्य महत्त्वपूर्ण निर्देशों की पालना सुनिश्चित करने हेतु रिक्त तथा नवसृजित उचित मूल्य दुकानों की आवंटन प्रक्रिया को विभागीय परिपत्र दिनांक 23.12.2011 के द्वारा वर्तमान में रोक दिया गया है।
- विभागीय परिपत्र दिनांक 04.01.2012 जारी करते हुए सभी जिला कलक्टर्स/जिला रसद अधिकारियों को निर्देशित किया गया है, कि वे अपने–अपने क्षेत्र के समस्त ग्राम सेवा सहकारी समितियों (जी.एस.एस.) को रिक्त उचित मूल्य दुकानों के संचालन हेतु नियमानुसार प्राधिकार पत्र जारी कर सकते हैं।
- विभागीय आदेश दिनांक 19.01.2012 जारी कर अब सम्पूर्ण राज्य में उपभोक्ता सप्ताह प्रत्येक माह की 24 तारीख से माह की अन्तिम तारीख तक मनाया जावेगा।

सतर्कता समितियॉ–

वितरण व्यवस्था पर निगरानी हेतु राज्य सरकार द्वारा विभिन्न स्तरों पर सतर्कता समितियों का निम्नानुसार गठन किया गया है–

(अ) **जिला स्तरीय सर्तकता समिति–**

जिला स्तरीय सतर्कता समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगेः–

1.	जिला कलक्टर	अध्यक्ष
2.	जिले के समस्त सांसद	सदस्य
3.	जिले के समस्त विधायक	सदस्य
4.	जिला प्रमुख	सदस्य
5.	जिले के समस्त प्रधान (पंचायत समिति)	सदस्य
6.	जिले की समस्त नगरपालिकाओं, परिषदों/निगमों के अध्यक्ष/प्रशासक	सदस्य
7.	उपखण्ड अधिकारी/ तहसीलदार	सदस्य
8.	उपभोक्ता संगठनों के दो प्रतिनिधि (कलक्टर द्वारा मनोनीत)	सदस्य
9.	जिला रसद अधिकारी	सदस्य सचिव

इस समिति का क्षेत्र सम्पूर्ण जिला होगा।

(ब) तहसील स्तरीय सतर्कता समिति–

1.	प्रधान, पंचायत समिति	अध्यक्ष
2.	उपखण्ड अतिधकारी/ तहसीलदार (उपखण्ड मुख्यालय वाली तहसीलों में उप–अध्यक्ष संबंधित उपखण्ड अधिकारी होंगे एवं तहसीलदार मात्र सदस्य होंगे)	उप–अध्यक्ष
3.	स्थानीय निकाय (नगरपालिका) के दो सदस्य, जिनका मनोनयन अध्यक्ष, स्थानीय निकाय द्वारा किया जायेगा।	सदस्य
4.	पंचायत समिति के दो सदस्य, जिन्हें संबंधित प्रधान द्वारा मनोनीत किया जायेगा।	सदस्य
5.	स्थानीय विधायक	सदस्य
6.	विकास अधिकारी, पंचायत समिति	सदस्य
7.	दो उपभोक्ता (मनोनयन द्वारा)	सदस्य
8.	सामाजिक/उपभोक्ता संगठन के दो सदस्य (मनोनयन द्वारा)	सदस्य
9.	संबंधित प्रवर्तन अधिकारी/ प्रवर्तन निरीक्षक	सदस्य सचिव

इस समिति का कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण तहसील क्षेत्र होगा। उपखण्ड मुख्यालय पर स्थित तहसीलों एवं अन्य तहसीलों में क्रमांक 7 – 8 सदस्यों का मनोनयन क्रमशः उपखण्ड अधिकारी/ तहसीलदार द्वारा किया जायेगा।

(स) उचित मूल्य दुकान स्तरीय सतर्कता समिति–

शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में उचित मूल्य दुकान स्तरीय सतर्कता समिति का गठन किया जावेगा, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगेः–

(1) शहरी क्षेत्र के लिए–

(1)	वार्ड पार्षद		अध्यक्ष
(2)	सामाजिक कार्यकर्ता (दो)का मनोनयन	जिला मुख्यालय पर	सदस्य
(3)	उपभोक्ता (एक)	जिला कलक्टर द्वारा एवं अन्य	सदस्य
(4)	सेवानिवृत अधिकारी/ कर्मचारी (स्थानीय निवासी)	स्तर पर उपखण्ड अधिकारी द्वारा किया जायेगा।	सदस्य

(2) ग्रामीण क्षेत्र के लिए–

(1)	सरपंच		अध्यक्ष
(2)	उपभोक्ता (एक)	का मनोनयन संबंधित	सदस्य
(3)	संबंधित विद्यालय का प्रधानाध्यापक/अध्यापक	उपखण्ड अधिकारी द्वारा किया जावेगा।	सदस्य

(4) सेवानिवृत अधिकारी/कर्मचारी (स्थानीय निवासी) सदस्य

(5) उपभोक्ता /सामाजिक संगठन का कार्यकर्ता सदस्य

(6) पॉच (एक) सदस्य

विभागीय परिपत्र दिनांक 11.01.2012 के द्वारा जिला एवं तहसील स्तर की निगरानी समितियों को प्रभावी बनाते हुए उपभोक्ता सप्ताह के पश्चात् प्रत्येक माह में जिला स्तरीय सतर्कता समिति की बैठक माह के प्रथम सप्ताह में बुधवार को एवं तहसील स्तरीय सतर्कता समिति की बैठक माह के प्रथम सप्ताह में शुक्रवार को आवश्यक रूप से आहूत करने के निर्देश जारी किए गए हैं, जिसमें गत माह में राशन सामग्री के आवंटन, उठाव, वितरण की समीक्षा की जाती है। ये समितियॉ राशन सामग्री के संबंध में शिकायतों, आवश्यकताओं एवं समस्याओं के निराकरण के संबंध में भी अपनी टिप्पणी एवं सुझावों से राज्य सरकार को अवगत करायेंगी।

जनप्रतिनिधियों को उचित मूल्य दुकान की जांच करने हेतु अधिकार

राज्य सरकार द्वारा आदेश दिनांक 25.02.2011 जारी करते हुए उचित मूल्य की दुकानों पर निगरानीं हेतु जॉच एवं निरीक्षण के लिए उनके निर्वाचन क्षेत्र में सभी समस्त सांसद, विधायक, नगर निगम के महापोर, नगर परिषद के सभापति, नगर पालिका के चेयरमेन, जिला प्रमुख एवं पंचायत समितियों के प्रधान, पंचायत समितियों के सदस्यगण, जिला परिषद सदस्य, नगर निगम/ नगर परिषद/नगर पालिका के पार्षद तथा ग्राम पंचायतों के सरपंच/ वार्ड पंचों को राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किया गया हैं।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली को प्रभावी बनाए जाने के क्रम में विभाग द्वारा निम्नांकित कदम उठाए गए है :–

- लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के उपभोक्ताओं को खाद्यान्न की पहुंच सुनिश्चित करने हेतु राज्य में राशन टिकिट व्यवस्था लागू की गई है।
- उचित मूल्य दुकानों के आवंटन हेतु नवीन दिशा–निर्देश दिनांक 27.02.2009 को जारी किये हुये हैं।
- शैक्षणिक योग्यता हेतु आवेदक के लिये 8वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए, लेकिन जनजाति उपयोजना क्षेत्र व बारां जिले की शाहबाद किशनगंज तहसीलों के लिए अनुसूचित जनजाति/सहरिया व्यक्तियों के लिये न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 5वीं कक्षा उत्तीर्ण का प्रावधान किया हुआ है।
- प्रवर्तन अधिकारियों/निरीक्षकों के निरीक्षण व भ्रमण को प्रभावी बनाना।
- नियन्त्रित वस्तुओं की उचित मूल्य दुकान पर पहुंच सुनिश्चित कराने एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली को और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से उचित मूल्य दुकान स्तर पर अनलोडिंग के

समय सतर्कता समिति के सदस्यों, पटवारी, ग्रामसेवक, सरकारी कर्मचारी अथवा किसी निगम या सहकारी संस्था के कार्मिक द्वारा सत्यापन कराये जाने के निर्देश जारी किये गये।

- सम्पूर्ण राज्य में उचित मूल्य दुकानों के खुली रहने के समय में एक रूपता की गई है:–

माह	समय
उपभोक्ता सप्ताह 24 से माह की अन्तिम तारीख तक	प्रातः 9 बजे से सांय 5 बजे तक
1 अप्रेल से 30 सितम्बर तक	प्रातः 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक
1 अक्टूबर से 31 मार्च तक	प्रातः 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक

साप्ताहिक अवकाश का दिन निर्धारित करने के लिए जिला कलक्टर को अधिकृत किया गया है। उपभोक्ता सप्ताह में कोई अवकाश नहीं रहेगा।

राजस्थान व्यापारिक वस्तु (अनुज्ञापन तथा नियत्रंण) आदेश, 1980 के खण्ड 18 के उप–खण्ड (ii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में और केन्द्र सरकार की पूर्व सहमति से राज्य सरकार द्वारा जारी समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 07.04.2011 को अधिक्रमित करते हुए किसी व्यवहारी एवं उत्पादक द्वारा किसी भी एक समय कब्जे में रखे जाने वाली सभी प्रकार की दालों (साबुत एवं दली हुई) की अधिकतम स्टॉक लिमिट एवं आवर्तन (टर्न ओवर) अवधि इसके द्वारा नियत की गई है जिसका विवरण **परिशिष्ठ 2"अ"** पर अंकित है।

उपभोक्ता सुरक्षा

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अन्तर्गत राज्य स्तर पर राज्य आयोग एवं जिला स्तर पर सभी जिलों में जिला मंचों का गठन किया हुआ है। जयपुर जिले में 3 तथा जोधपुर जिले में 1 अतिरिक्त पूर्णकालिक मंच का गठन किया गया है। इस प्रकार वर्तमान में सभी 33 जिलों में पूर्णकालीन जिला मंच गठित है।

आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 तथा चोरबाजारी निवारण और आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम, 1980 के तहत कार्यवाही कर आवश्यक वस्तुओं की उचित मूल्य पर वितरण व्यवस्था को सुचारू रूप से रखने हेतु निरन्तर निगरानी की व्यवस्था है। इस कार्यवाही के तहत अप्रैल, 2011 से दिसम्बर, 2011 तक 358 छापे मार 168.94 लाख रूपये की आवश्यक उपभोक्ता सामग्री जब्त की गई। 132 व्यापारी के अदालत में चालान प्रस्तुत किये गये।

आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत राज्य में वर्ष 2011–12 के दिसम्बर, 2011 तक की गई कार्यवाही का मानचित्र **परिशिष्ठ"3"** पर संलग्न है।

उपभोक्ता संरक्षण

उपभोक्ता आन्दोलन को गति प्रदान करने हेतु राज्य सरकार द्वारा विभिन्न प्रयास किये गये हैं, जिनका संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है–

निर्धन/अक्षम उपभोक्ताओं के लिए विधिक सहायता योजना

उपभोक्ता संरक्षण कानून की सार्थकता निर्धन/अक्षम उपभोक्ता को इस कानून का लाभ प्रदान करने में निहित है। वैधानिक रूप से वकील की अनिवार्यता नहीं होने के बावजूद उपभोक्ता मामलो में वकील उपभोक्ता मंचों में उपस्थित हो रहे है। इन परिस्थितियों में ऐसे निर्धन/अक्षम उपभोक्ता जो कि वकील का खर्च वहन करने में असमर्थ है, उन्हें निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध करायी जा रही हैं।

इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये निर्धन/अक्षम उपभोक्ताओं के लिये विधिक सहायता की एक योजना है। यह योजना राज्य के सभी जिला मुख्यालयों पर प्रारंभ की जा चुकी है। जिले के एक चिन्हित स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठन को इस योजना के लिये 10 हजार रूपये की राशि उपलब्ध करा दी गयी है। इस राशि में से स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठन प्रत्येक प्रकरण के लिये अधिकतम रूप से 300/– रूपये की विधिक सहायता संबंधित वकील को पारिश्रमिक एवं अन्य व्यय के लिए भुगतान करेगा। प्रकरण में निर्णय होने पर यदि निर्णय उपभोक्ता के पक्ष में होता है तो उपभोक्ता को क्षतिपूर्ति एवं वाद खर्च के रूप में जो राशि अप्रार्थी से प्राप्त होगी उस राशि में से स्वैच्छिक संगठन अपने द्वारा व्यय की गई राशि उपभोक्ता से प्राप्त कर रसीद देगे और इस प्रकार स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठन के पास इस योजना के मद में रिवोल्विंग फण्ड बन सकेगा। स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठन का चयन जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समन्वय समिति द्वारा किये जाने का प्रावधान है। राज्य के समस्त जिलों में यह योजना लागू की जा चुकी है।

स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठनों के सशक्तीकरण की योजना

उपभोक्ता संरक्षण से संबंधित जन जागृति के कार्यक्रमों में स्वैच्छिक संगठनों की भूमिका बढ़ाने हेतु उनका सशक्तीकरण किया जाना आवश्यक है। सभी जिला मुख्यालय में एक स्वैच्छिक संगठन इस कार्य के लिये चिन्हित कर उसके सशक्तीकरण के लिए 50,000 रू. की राशि प्रदान किये जाने की योजना राज्य सरकार द्वारा प्रारम्भ की गई है। इस योजना के लिए राज्य के सभी जिलों को प्रति जिला 50,000 रू. की राशि विभाग द्वारा भेजी जा चुकी है। इस राशि से संगठन, कम्प्यूटर (प्रिन्टर सहित) खरीद सकेगे तथा शेष राशि आई. ई. सी. मैटेरियल तैयार करने में व्यय कर सकेगे। योजना के लिए स्वैच्छिक संगठन का चयन, उपभोक्ता क्लब योजना के लिए जिला कलेक्टर की अध्यक्षता मे गठित जिला स्तरीय समन्वय समिति द्वारा किये जाने का प्रावधान है। स्वैच्छिक संगठन द्वारा आयोजित कार्यक्रमों की मोनीटरिंग जिले के जिला रसद अधिकारी द्वारा की जायेगी।

विद्यालयों में उपभोक्ता क्लबों का गठन

युवाओ एवं बच्चो में उपभोक्ता संरक्षण के प्रति जागृति उत्पन्न करने एवं शिक्षण संस्थाओ के माध्यम से उपभोक्ता संरक्षण का प्रचार–प्रसार करने की दृष्टि से राज्य के 500 राजकीय सीनियर सैकण्डरी एवं सैकण्डरी विद्यालयो का उपभोक्ता क्लब स्थापित करने के लिए शिक्षा सत्र 2004–05 में चयन किया गया था। केन्द्र सरकार द्वारा प्रवर्तित इस योजना के दूसरे चरण में राज्य के 500 राजकीय सीनियर सैकण्डरी एवं सैकण्डरी विद्यालयों का चयन कर उपभोक्ता क्लब स्थापित किये गये है। इस प्रकार राज्य के 1000 राज्यकीय विद्यालयो में उपभोक्ता क्लब स्थपित है। प्रथम एवं द्वितीय चरण में स्थापित उपभोक्ता क्लबों हेतु भारत सरकार से 1.50 करोड़ की राशि प्राप्त हुई है, जिसे उपभोक्ता क्लबों को आवंटित की जा चुकी है।

ऐसे अनेक उदाहरण मिल रहे है, जिनमें क्लब के सदस्य (छात्र) उपभोक्ता अधिकारों के हनन पर अपने माता–पिता एवं अभिभावकों को उपभोक्ता अदालत में जाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं तथा उन्हें सजग उपभोक्ता बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे है।

राज्य उपभोक्ता कल्याण कोष

उपभोक्ता हितों के संरक्षण एवं संवर्द्धन तथा उपभोक्ता संरक्षण संबंधी कार्यक्रमों/ योजनाओं के लिए वित्तीय व्यवस्था उपलब्ध कराने के उद्धश्ेय से राज्य में उपभोक्ता कल्याण कोष स्थापित किया गया है। इस कोष में भारत सरकार द्वारा 27.00 लाख रूपये का योगदान दिया गया तथा इतनी ही राशि (27.00 लाख) राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई। इस कोष का संचालन विभाग की पंजीकृत संस्था, राजस्थान कल्याण समिति, जयपुर द्वारा किया जाता है। वित्त विभाग की आई.डी संख्या 20/ 13.03.2009 की पालना में राजस्थान कल्याण समिति कोष से 27.50 करोड़ रूपये राज्य सरकार को स्थानान्तरित (वित्त विभाग को दिनांक 29.04.09) किया जा चुका है। भारत सरकार द्वारा 4498638 दिनांक 08.12.2009, 06.01.2010 द्वारा योगदान किया गया है। विभाग द्वारा राज्य के जिला रसद अधिकारियों को 50–50 हजार रूपये की राशि उपभोक्ता संरक्षण संबंधी जानकारी एवं राज्य सरकार की उपलब्धियों के प्रचार–प्रसार हेतु होर्डिंग्स लगाने के लिए दिनांक 22.06. 2010 को आवंटित की गई है।

उपभोक्ता जागरूकता हेतु किए जा रहे महत्वपूर्ण प्रयास

उपभोक्ता हितों को सर्वोपरी रखते हुए राज्य में उपभोक्ता जागरूकता की दिशा में आरंभ से ही महत्वपूर्ण प्रयास किए जा रहे हैं। 'जागरूक उपभोक्ता, सुरक्षित उपभोक्ता' के साथ ही उपभोक्ता शिक्षा की दिशा में प्रभावी वातावरण निर्माण किए जाने के लिए राज्य में उपभोक्ता सूचना केन्द्रों की जहां पहल की गयी है वहीं राज्य आयोग की सर्किट बैंच की स्थापना भी की गयी है। राज्य के प्रमुख मेलों में उपभोक्ता जागृति कार्यक्रम संबंधी विशेष

आयोजनों के साथ ही उपभोक्ता जागरूकता के लिए किए जा रहे प्रयास इस प्रकार से है–

जिला उपभोक्ता सूचना केंद्र

वर्तमान युग सूचना का युग है। उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के संबंध में अधिक से अधिक जानकारी उपलब्ध कराने से ही उपभोक्ता आन्दोलन को सफल कहा जा सकता है। जागरुक उपभोक्ता सजग और सुरक्षित बन सकता है। अतः राज्य के सभी जिलों में उपभोक्ता सूचना एवं परामर्श केंद्र स्थापित किए जावेंगे। इन केंद्रों पर उपभोक्ताओं को उनके उपयोग की सूचनाऐं एवं उपभोक्ता कानून से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध होगी। आगामी महिनों में इस योजना को क्रियान्वित कर दिया जायेगा।

राज्य आयोग की सर्किट बैंच की स्थापना

माननीय मुख्य मंत्री महोदय की बजट घोषणा 2010–11 के अनुसरण में कोटा, बीकानेर एवं उदयपुर में भी सर्किट बैंच स्थापित किए जाने के आदेश विभागीय स्तर से जारी किये जा चुके हैं तथा सदस्यों की नियुक्ति हेतु दिनांक 27.01.2011 को अधिसूचना जारी की जा चुकी है। उक्त सर्किट बैंचों द्वारा सुचारू रूप से कार्य सम्पादित किया जा रहा है।

उपभोक्ता निदेशालय

राज्य विधानसभा में दिनांक 19.01.04 को महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में उपभोक्ता निदेशालय का गठन प्रस्तावित किया गया था। बाद में 09.03.2007 को मुख्यमंत्री द्वारा बजट भाषण में भी इस हेतु घोषणा की गयी। इसकी अनुपालना में निदेशक, उपभोक्ता मामले का प्रभार अतिरिक्त आयुक्त खाद्य को (As ex officio Director) नियुक्त किया गया। निदेशालय के पूर्ण गठन की तत्सम्बन्धी अन्य कार्यवाही अभी होनी शेष है।

राज्य में अतिरिक्त जिला उपभोक्ता मंचों का गठन

उपभोक्ताओं को त्वरित न्याय दिलाने की दृष्टि से राज्य सरकार द्वारा जयपुर जिले में 2 एवं जोधपुर जिले 1 अतिरिक्त जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष मंचों का गठन किया गया है, जिसके सन्दर्भ में विभागीय स्तर से दिनांक 26.11.2011 को अधिसूचना जारी की जा चुकी है। उक्त नवगठित जिला उपभोक्ता मंचों में अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

उपभोक्ता संरक्षण सबंधी प्रचार–प्रसार गतिविधियॉं

राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस का व्यापक आयोजन

24 दिसम्बर, 2011 को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के लागू होने के 25 वर्ष पूर्ण होने पर राजस्थान में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के अवसर पर रजत जयन्ती समारोह के अन्तर्गत उपभोक्ता जागृति सप्ताह दिनांक 18 से 24 दिसम्बर, 2011 के मध्य

आयोजित किया गया। उपभोक्ता जागृति सप्ताह के दौरान राज्य के सभी जिलों में जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद की बैठक एवं महिला संगोष्ठी आयोजित की गयी। इसके अतिरिक्त क्षेत्रीय लोक गीत एवं कविता प्रतियोगिता, चित्रकला प्रतियोगिता/कठपुतली/नुक्कड़ नाटक, स्ट्रीट शो आदि गतिविधियाँ आयोजित की गयी। इस सप्ताह में जिला उपभोक्ता मंचों द्वारा लोक अदालतों का आयोजन भी किया गया तथा जिला स्तर पर संगोष्ठी एवं सेमिनार का भी आयोजन हुआ। उपभोक्ता जागृति सप्ताह के दौरान प्रत्येक जिले की एक तहसील मुख्यालय पर रात्रिकालिन उपभोक्ता चौपाल का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस पर राज्य स्तरीय समारोह का जयपुर में आयोजन किया गया।

उपभोक्ता हैल्पलाईन

राज्य में केन्द्र केन्द्र सरकार के निर्णयानुसार 15 मार्च, 2011 को 'विश्व उपभोक्ता दिवस' के अवसर पर उपभोक्ता हैल्पलाईन का शुभारम्भ किया जा चुका है। राज्य स्तरीय उपभोक्ता हैल्प लाईन का संचालन राज्य की स्वैच्छिक उपभोक्ता संस्था कन्ज्यूमर्स एक्शन एण्ड नेटवर्क सोसयटी 'केन्स' जयपुर द्वारा सुचारू रूप से किया जा रहा है। हैल्प लाईन का टोल फ्री नम्बर 18001806030 है।

उपभोक्ता जागृति अभियान–सीमित सहायता योजना

स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठनों एवं शैक्षणिक संस्थाओं इत्यादि को उपभोक्ता संरक्षण से सम्बन्धित कार्यक्रमों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु विभाग ने यह योजना अप्रेल, 2007 में प्रारम्भ की है। इस योजना के अन्तर्गत 5000/– रूपयें से 50,000/– रूपयें तक की सहायता प्रदान की जा सकती है। 5000/– रूपयें तक की सहायता जिला कलेक्टर स्वयं के स्तर पर प्रदान कर सकते है। इससे अधिक राशि की सहायता के लिए प्रकरण खाद्य विभाग मुख्यालय में विचारार्थ प्रेषित किये जाने का प्रावधान है।

चल प्रयोगशाला

मिलावटियों के विरूद्ध मौके पर निःशुल्क जाँच किए जाने हेतु राज्य के सभी जिलों में चल प्रयोगशालाओं का शुभारम्भ दिनांक 19.04.2010 को किया गया है। चल प्रयोगशाला द्वारा मौके पर खाद्य पदार्थों में मिलावट की जानकारी करने हेतु स्पॉट टेस्ट किए जाने वाले पदार्थों की सूची में खाद्य तेल, घी, पनीर,, दूध, मावा, पाऊडर आदि चाय, सुपारी, सुपारी चूरण, मसाले आदि साबूदाना, शर्करा/चीनी, कॉफी, शहद, साधारण नमक, दाल, बेसन, आटा, बाजरा, अनाज, गेहूँ, गुड, हल्दी, मिर्च, करी पाऊडर जैसे सामान्य मसाले, पिसे मसाले, धनिया मसाला, मिर्च, हल्दी पाऊडर आदि काली मिर्च (साबुत), बड़ी इलायची, जीरा बीज, (काला जीरा), हींग, चांदी का वर्क आदि शामिल हैं।

राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम का गठन एवं उद्देश्य

राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु बजट वर्ष 2010–11 में माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा **"राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड"** के गठन करने की घोषणा की गई।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा निगम की स्थापना एंव उसके प्रशासनिक ढांचे, कार्य, उद्देश्य आदि के संबंध में निर्देश जारी किये गये थे जिसके अनुसार नवगठित राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लि. निम्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कार्य करेगा :–

1. निगम, भारत सरकार द्वारा आवंटित खाद्यान्न का भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से उठाव कर पूरे प्रदेश में उचित मूल्य की दुकानों पर आपूर्ति करेगा। निगम परिवहन व आपूर्ति हेतु आवश्यक निविदायें एवं ठेके आदि की कार्यवाही सम्पन्न करेगा।
2. राज्य में उपभोक्ताओं के उपयोग हेतु निगम गैर पीडीएस सामग्री बड़े निर्माताओं (Manufactures) से क्रय कर बाजार से सस्ते दामों पर उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से उपलब्ध कराएगा। वर्ष 2011–12 में प्रथम चरण में आयोडाईज्ड वाश नमक एवं चाय को न्यूनतम मूल्य पर उचित मूल्य की दुकानों पर उपलब्ध कराएगा।
3. चूंकि उचित मूल्य की दुकानों पर प्रभावी आपूर्ति व्यवस्था बनाना निगम का दायित्व होगा, अतः निगम तहसील स्तर पर जहां केन्द्रीय भण्डारण निगम या राज्य भण्डारण निगम के गोदाम उपलब्ध नहीं है वहां राशन सामग्री के भण्डारण हेतु गोदाम आदि किराये पर लेने की व्यवस्था करेगा लेकिन जहां पर राज्य भण्डारण निगम किराये पर गोदाम लेकर किराये पर उपलब्ध कराने की स्थिति में होगा वहां निगम भण्डारण हेतु स्वयं गोदाम किराये पर नहीं लेगा।
4. निगम राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों के अनुरूप ही कार्य करेगा।
5. बाजार में उपभोक्ता वस्तुओं जैसे दलहन, खाद्य तेल, चीनी आदि के दाम बढ़ने पर निगम बाजार में हस्तक्षेप कर इन उपभोक्ता वस्तुओं को उपलब्ध कराने का कार्य करेगा।
6. राज्य की बजट अधिघोषणा वर्ष 2011–12 के अनुसार निगम सम्पूर्ण राज्य में उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से फोर्टीफाईड आटा आम उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराएगा।
7. उपभोक्ता संरक्षण एंव उपभोक्ता हितों के लिए जागरूकता एवं प्रचार–प्रसार संबंधी गतिविधियां समय–समय पर संचालित करने हेतु खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के निर्देशानुसार कार्यवाही करना।
8. सार्वजनिक वितरण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण हेतु कम्प्यूटराइज्ड मॉनिटरिंग सिस्टम/डायवर्जन को रोकने के लिए जीपीएस तकनीक का प्रयोग एवं स्पेशल विजिलेंस स्क्वायड आदि से सम्बन्धित कार्य भी संपादित करेगा।

निगम की कार्य प्रगति

1. खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान सरकार, जयपुर के द्वारा दिनांक 24.11.2010 को निगम के त्रिस्तरीय प्रशासनिक ढांचे के लिए पदों एवं सेवाओं के सृजन की स्वीकृति जारी की गई।
2. राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लि. का रजिस्ट्रेशन दिनांक 08.12.2010 को कंपनी एक्ट की धारा 617 के अन्तर्गत किया गया है।
3. निगम के संचालक मण्डल की प्रथम बैठक दिनांक 22.12.2010, द्वितीय बैठक 01.03.2011 एवं तृतीय बैठक दिनांक 26.08.2011 को हुई जिसमें निगम के सुचारू रूप से कार्य करने के संबंध में यथोचित निर्णय किये गये।
4. रजिस्ट्रार कम्पनीज, राजस्थान जयपुर से दिनांक 27.12.2010 को निगम द्वारा व्यापार प्रारम्भ करने का प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया।
5. प्रशासनिक विभाग एवं वित्त विभाग द्वारा निगम की प्रदत्त पूंजी रूपये 50.00 करोड़ की जारी स्वीकृतियों के क्रम में कोषाधिकारी, कोष कार्यालय द्वारा दिनांक 21.01.2011 को रूपये 10.00 करोड़ एवं दिनांक 31.03.2011 को रूपये 40.00 करोड़ निगम के ब्याज रहित निजी निक्षेप खाते में जमा किये। इस प्रकार निगम को राज्य सरकार के अंशदान के रूप में निर्धारित प्रदत्त पूंजी रूपये 50.00 करोड़ मार्च, 2011 तक प्राप्त हो चुके है।
6. निगम द्वारा जिला स्तर पर कार्य संचालन हेतु जिला प्रबन्धकों के पद पर एमबीए (मार्केटिंग) योग्यताधारी अभ्यर्थियों की नियमित नियुक्ति करने हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति उपरान्त संचालक मण्डल की बैठक में लिये गये निर्णयानुसार राजस्थान नोलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड (RKCL) के सहयोग से जिला प्रबन्धकों के पद पर नियुक्ति हेतु लिखित परीक्षा दिनांक 18.12.2011 को आयोजित की जाकर परिणाम दिनांक 26.12.2011 को जारी कर दिनांक 10.01.2012 को नियुक्ति आदेश जारी कर दिए हैं।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली

1. सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत खाद्यान्न वितरण हेतु निगम को राज्य सरकार द्वारा थोक विक्रेता घोषित किया गया। निगम का तहसील स्तर पर कार्यालय स्थापित न होने के कारण समस्त जिलों में पूर्व में तहसील स्तर पर कार्यरत थोक विक्रेता अर्थात् क्रय–विक्रय सहकारी समिति, सहकारी उपभोक्ता होलसेल भण्डार एवं राजस्थान जनजाति क्षेत्रीय सहकारी विकास संघ लि. से ही खाद्यान्न का उठाव एवं वितरण कार्य करवाया जा रहा है। जिला रसद अधिकारियों को ही निगम के जिला प्रबन्धकों के पद का अतिरिक्त कार्य के सम्बन्ध में प्रशासनिक विभाग द्वारा अधिकृत किया गया है।
2. राज्य सरकार के निर्णयानुसार एपीएल श्रेणी का आवंटित गेहूं तथा बीपीएल श्रेणी में से 10–20 किलो तक के गेहूं का फोर्टिफाईड आटा तैयार कर वितरण कराने के सम्बन्ध में

निर्देश प्राप्त हुए है। खाद्य विभाग द्वारा खुली निविदा जारी कर सम्भागीय मुख्यालय एवं 4 जिलों (बाड़मेर, चुरू, भीलवाड़ा एवं नागौर) में फोर्टिफाईड आटा तैयार कर वितरण किए जाने हेतु निविदाएं आंमत्रित कर आदेश दिए गए, निगम द्वारा वितरण कार्य किया जा रहा है। निगम द्वारा कोटा संभाग मुख्यालय की नगरीय सीमा तथा शेष रहे 22 जिलों एवं जयपुर, जोधपुर ग्रामीण को शामिल करते हुए कुल 24 जिलों में फोर्टीफाईड आटे की आपूर्ति हेतु निविदाएं आमंत्रित की गई। मई, 2011 में कोटा के लिए तथा जून, 2011 में 24 जिलों के लिए रोलर फ्लोर मिलों का अनुमोदन करते हुए कार्यादेश जारी किये गये है।

3. वर्तमान में निगम द्वारा राज्य सरकार के निर्देशानुसार सम्पूर्ण राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में एपीएल श्रेणी का आवंटित गेहूं तथा बीपीएल श्रेणी में से 10–20 किलो तक के गेहूं का फोर्टिफाईड आटा तैयार कर वितरण करने हेतु दिनांक 15.11.2011 तक खुली निविदाएं आमंत्रित की गई है। प्राप्त निविदाओं को अंतिम रूप देने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

गैर–सार्वजनिक वितरण प्रणाली

1. गैर पीडीएस वस्तुओं के उत्पादनकर्ता/निर्माताओं एवं थोक विक्रेताओं से प्रथम चरण में आयोडीनयुक्त वाश नमक, चाय एवं साबुन को उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से आम उपभोक्ताओं को वितरण करने हेतु आवश्यक निविदा जारी की गई। प्राप्त निविदाओं में न्यूनतम मूल्य पर चाय एवं आयोडाईज़ वाश नमक आपूर्ति करने वाली कम्पनी/फर्मो को आपूर्ति हेतु कार्यादेश दिए गए तथा अगस्त, 2011 से निगम की ब्राण्ड (राज ब्राण्ड) चाय एवं नमक का वितरण उपभोक्ताओं को प्रारम्भ किया गया है।

2. वर्तमान में गैर पीडीएस मदों में यथा– कपड़े धोने का साबुन, पिसे हुए पैक्ड मसाले (हल्दी, मिर्ची एवं धनिया), दालें (चना एवं मूंग) फ्री फ्लो आयोडाइज्ड नमक एवं खाद्य तेल (तिल्ली, सरसों एवं मूंगफली) आदि की उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से आम उपभोक्ताओं को उपलब्ध करवाने के लिये आपूर्ति हेतु खुली निविदाएं आमंत्रित कर अग्रिम कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

खाद्यान्न परिवहन

1. राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु निगम द्वारा खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक वस्तुओं के परिवहन व आपूर्ति हेतु आवश्यक निविदायें जारी की गई। 10 जिलों हेतु निविदायें प्राप्त हुई जिनमें से 8 जिलों में सफल परिवहनकर्ता पाये गये इनमें से बीकानेर, धौलपुर तथा उदयपुर में माह सितम्बर, 2011 से परिवहन कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है। बासंवाड़ा, जयपुर, करौली, अलवर एवं कोटा जिले के परिवहनकर्ता को कार्यादेश जारी कर अनुबन्ध की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। शेष जिलों के लिए पुनः निविदा जारी किए जाने की कार्यवाही की जा रही है तब तक वर्तमान में कार्यरत् थोक विक्रेताओं द्वारा खाद्यान्न परिवहन कार्य भी सम्पादित किया जा रहा है।

निगम की अन्य गतिविधियां

1. निगम के तहसील मुख्यालय जहां भण्डार व्यवस्था निगम के गोदाम उपलब्ध नहीं है, पर निरीक्षक/सुपरवाईजर के पदों पर संविदा के आधार पर आर्मी सप्लाई कौर के भूतपूर्व सैनिकों को नियोजित कर तहसील स्तर पर 59 निरीक्षक/सुपरवाईजर की नियुक्ति की कार्यवाही की गई।
2. निगम द्वारा यूनिसेफ प्रतिनिधि के रूप में आयोडाईज्ड वाश नमक के वितरण के लिए विषय विशेषज्ञ की सेवाऐं सलाहकार के रूप में यूनिसेफ द्वारा प्रायोजित की गई है।
3. निगम के मुख्यालय हेतु स्वयं का भवन न होने के कारण एवं भवन हेतु भूमि आवंटन न होने के कारण तथा संचालक मण्डल की बैठक में लिये गये निर्णय अनुसार मुख्यालय के लिए कृषि विपणन बोर्ड राजस्थान जयपुर से लाल कोठी स्थित किसान भवन में पांचवी मंजिल पर रिक्त स्थान को मासिक किराये पर लेकर निगम का मुख्यालय स्थापित किया गया है।

खाद्यान्न एवं आटा परिवहन तथा आपूर्ति के संबंध में निगम द्वारा मॉनिटरिंग हेतु किये गये प्रयास –

1. निगम द्वारा राज्य में खाद्यान्नों के उठाव हेतु कार्यरत क्रय–विक्रय सहकारी समितियां, सहकारी उपभोक्ता होलसेल भण्डार तथा राजस्थान जनजाति क्षेत्रीय सहकारी विकास संघ लिमिटेड (थोक विक्रेताओं को) भारतीय खाद्य निगम गोदामों से खाद्यान्नों का उठाव कर उचित मूल्य दुकानों तक आपूर्ति हेतु परिपत्र दिनांक 18.01.2011 को जारी किया गया है।
2. द्वितीय चरण में राज्य के सभी जिलों में खाद्यान्न उठाव एवं खाद्यान्न तथा आटा आपूर्ति हेतु पुनः दिनांक 31.05.2011 को निर्देश जारी किये गये हैं।

वास्तविक आय व्यय एवं संशोधित प्रावधान

वर्ष 2009–10, 2010–11 के वास्तविक व्यय एवं वर्ष 2010–11 एवं 2011–12 के बजट प्रावधानों का विवरण **परिशिष्ट– "4"** पर एवं विभाग का प्रशासनिक संरचना **परिशिष्ट– "5"** पर अंकित है।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

सूचना का अधिकार, अधिनियम 2005 के प्रावधानों के अन्तर्गत विभाग के सभी शासन उप सचिव एवं उपायुक्त, सहायक खाद्य आयुक्त, मुख्य लेखाधिकारी खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग को राज्य जन सूचना अधिकारी एवं उपायुक्त (द्वितीय) को नोडल अधिकारी तथा सभी जिला रसद अधिकारियों को अपने–जिलों के लिए राज्य जन सूचना अधिकारी और सभी उपखण्ड अधिकारियों को अपने–अपने क्षेत्र के लिये राज्य सहायक जन सूचना अधिकारी तथा खाद्य आयुक्त को प्रथम अपील की सुनवाई हेतु अपीलीय अधिकारी नियुक्त किया गया है।

उक्त अधिनियम की धारा 4 की उप धारा (1) के अनु0 (बी) के अन्तर्गत 17 बिन्दुओं पर विभागीय मैन्यूअल प्रकाशित किया जा चुका है। इस मैन्यूअल की प्रति विभाग मुख्यालय पर सर्वसाधारण के अवलोकनार्थ उपलब्ध है। इसकी प्रति सभी जिला रसद अधिकारियों और उपखण्ड अधिकारियों के कार्यालयों को सर्वसाधारण के अवलोकनार्थ विभागीय पत्र दिनांक 13.10.2005 द्वारा प्रेषित की जा चुकी है।

अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रस्तुत होने वाले प्रार्थना–पत्रों का निर्धारित अवधि में अथवा इससे पूर्व निस्तारण किया जाता है।

परिशिष्ठ 1

राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान करने की गांरटी का अधिनियम के क्षेत्राधिकार में ली जाने वाली सेवाए, अवधि एवं उनके लिए निर्धारित किये जाने वाले पदाभिहित अधिकारी/ सहायक पदाभिहित अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी

विभाग का नाम :– खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग, राज. जयपुर।

क्र.स.	विभाग की गतिविधियां/सेवाएं जो प्रस्तावित अधिनियम की परिधि में ली जानी है।	सेवा प्रदान करने की समायावधि	पदाभिहित अधिकारी	सहायक पदाभिहित अधिकारी	प्रथम अपीलीय अधिकारी	द्वितीय अपील अधिकारी	विशेष टिप्पणी, यदि कोई हो
	नये राशन कार्ड बनाने हेतु	आवेदन प्राप्ति से 7 दिवस		–	जिला कलक्टर	प्रमुख शासन सचिव, खाद्य विभाग (मुख्यालय)	
	1. जिला मुख्यालय का नगर पालिका क्षेत्र		जिला रसद अधिकारी/ क्षेत्रीय रसद अधिकारी				
	2. शेष नगर पालिका क्षेत्र में		नगरपालिका बोर्ड का अधिशांषी अधिकारी/आयुक्त				
	3. ग्रामीण क्षेत्र के लिये		विकास अधिकारी, संबंधित पंचायत समिति अधिकारी				
	4. राज्य सरकार द्वारा अधिकृत		राज्य सरकार द्वारा विशेष रूप से अधिकृत कोई भी अन्य अधिकारी				

परिशिष्ट–1(अ)

"शुद्ध के लिए युद्ध" अभियान की प्रगति रिपोर्ट

अवधि 22.06.2009 से 30.12.2011 तक

क्र.सं	विभाग	अनुज्ञापत्र/ प्राधिकार पत्रधारी एवं अन्य	निरी–क्षणों की संख्या	लिये गये सेम्पल की संख्या	अपमिश्रित /दोषी पाये गये सैम्पलों–प्र करणों की संख्या	दोषियों के विरूद्ध की गई कार्यवाही										
						दर्ज की गई एफ. आई.आर की (संख्या)	न्यायालय में प्रस्तुत इस्तगासा /चालान की संख्या	गिरफ्तार व्यक्तियों की संख्या	विभागीय स्तर पर दर्ज प्रकरणों की सख्या	प्रतिभूति जब्त/ अर्थ दण्ड /जुर्माना राशि	निलम्बित अनुज्ञापत्र की संख्या	निरस्त अनुज्ञापत्र की संख्या	जब्त माल की मात्रा/ संख्या/ कि.ग्रा/ ली. में	जब्त माल का मूल्य	नष्ट कराये गये माल की मात्रा (कि.ग्रा/ ली.में)	न्यायालय से दण्डित व्यक्तियों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	खाद्य विभाग	छ.म.दुकान	7187	46	18	89	0	18	2589	826540	432	125	7859	0	0	0
		आर.टी.ए.एल चीनी आदि	579	16	0	15	0	11	154	9150	5	4	3474	0	0	0
		एल.पी.जी	609	21	0	6	1	1	180	48050	3	2	5681	72172	0	0
		पेट्रोलियम पदार्थ	669	60	0	48	0	54	275	41000	9	4	1265	0	0	0
		बैरल पोइन्ट	113	7	0	0	0	0	43	11893	0	5	52	0	0	0
						48		31								
	योग		9157	150	18	206	1	115	3241	936633	449	140	18331	72172	0	0
2	उद्योग विभाग	पेट्रोलियम पदार्थ एवं अन्य वस्तुओं के बाट,माप,तौल के मामले	54854	218	0	0	11	0	6501	3912000	6	0	0	0	0	0
	योग		54854	218	0	0	11	0	6501	3912000	6	0	0	0	0	0
3	कृषि विभाग	बीज,उर्वरक एवं कीटनाशक दवाईयों की गुणवत्ता की जांच	10274	15998	338	10	102	2	235	0	21	2	2772026	1785616	0	0
	योग		10274	15998	338	10	102	2	235	0	21	2	2772026	1785616	0	0

परिशिष्ट–1(अ)

"शुद्ध के लिए युद्ध" अभियान की प्रगति रिपोर्ट

अवधि 22.06.2009 से 30.12.2011 तक

क्र.स	विभाग	अनुज्ञापत्र/ प्राधिकार पत्रधारी एवं अन्य	निरी–क्षणों की संख्या	लिये गये सेम्पल की संख्या	अपमिश्रित /दोषी पाये गये सैम्पलों–प्रकरणों की संख्या	दोषियों के विरूद्ध की गई कार्यवाही										
						दर्ज की गई एफ. आई.आर की (संख्या)	न्यायालय में प्रस्तुत इस्तगासा /चालान की संख्या	गिरफ्तार व्यक्तियों की संख्या	विभागीय स्तर पर दर्ज प्रकरणों की संख्या	प्रतिभूति जब्त/ अर्थ दण्ड /जुर्माना राशि	निलम्बित अनुज्ञापत्र की संख्या	निरस्त अनुज्ञापत्र की संख्या	जब्त माल की मात्रा/ संख्या/ कि.ग्रा/ ली. में	जब्त माल का मूल्य	नष्ट कराये गये माल की मात्रा (कि.ग्रा/ ली.में)	न्यायालय से दण्डित व्यक्तियों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग	दूध, देशी घी, पनीर, मावा, मसाले, अन्य	39771	16465	3238	22	2874	16	0	0	30	2	0	0	17782	197
	योग		39771	16465	3238	22	2874	16	0	0	30	2	0	0	17782	197
5	स्वायत्त शासन विभाग के मामले	फूड लाइसेन्स के अन्तर्गत सामग्री की गुणवत्ता की जांच	2869	266	0	0	0	0	180	0	0	0	0	0	0	0
	योग		2869	266	0	0	0	0	180	0	0	0	0	0	0	0
6	पशुपालन एवं डेयरी विभाग	संकलित किये जा रहे दूध की जांच, डेयरी के नाम/मॉनोग्राम से नकली घी, दूध आदि के वेचान के प्रकरण	33062	8307	0	0	0	0	37	0	3	0	0	0	268	0
	योग		33062	8307	0	0	0	0	37	0	3	0	0	0	268	0
	महायोग		149987	41404	3594	238	2988	133	10194	4848633	509	144	2790357	1857788	18050	197

राज्य को प्राप्त खाद्यान्न का पिछले पांच वर्ष का मासिक आवंटन व उठाव

1. गेंहूँ एपीएल

(मात्रा मै. टन में)

क्र. सं.	वर्ष	आवंटन	उठाव	प्रतिशत
1	2007–08	290948	236554	81.30
2	2008–09	343114	287664	83.84
3	2009–10	772320	757473	98.08
4	2010–11	772320	772178	98.69

अप्रेल 2011 से दिसम्बर 2011 की अवधि में

क्र. स.	माह	आवंटन	उठाव	प्रतिशत
1	अप्रेल, 2011	64360	73671	114.47
2	मई, 2011	64360	61929	96.22
3	जून, 2011	64360	62353	96.88
4	जुलाई, 2011	64360	60809	94.48
5	अगस्त, 2011	64360	62275	96.76
6	सितम्बर, 2011	64360	63735	99.03
7	अक्टूबर, 2011	64360	63061	97.98
8	नवम्बर, 2011	64360	62686	97.40
9	दिसम्बर, 2011	64360	61287	96.23
	योगः–	**579240**	**578193**	**96.37**

परिशिष्ठ – 1"ब"

2. बीपीएल गेहूँ का आवंटन व उठाव की सूचना

(मात्रा मै. टन में)

क्र. सं.	वर्ष	आवंटन	उठाव	प्रतिशत
1	2007–08	408640	385339	94.30
2	2008–09	595800	589606	98.96
3	2009–10	629532	618503	98.25
4	2010–11	629532	627423	99.66

अप्रेल 2011 से दिसम्बर 2011 की अवधि में

क्र. स.	माह	आवंटन	उठाव	प्रतिशत
1	अप्रेल, 2011	52461	52229	99.56
2	मई, 2011	52461	52248	99.59
3	जून, 2011	52461	52503	100.08
4	जुलाई, 2011	52461	51849	98.83
5	अगस्त, 2011	52461	52293	99.68
6	सितम्बर, 2011	52461	51759	98.66
7	अक्टूबर, 2011	52461	51482	98.13
8	नवम्बर, 2011	52461	49296	93.97
9	दिसम्बर, 2011	52461	51229	97.65
	योगः–	**472149**	**464888**	**98.46**

3. अन्त्योदय अन्न योजना के आवंटन व उठाव की सूचना

(मात्रा मै. टन में)

क्र. सं.	वर्ष	आवंटन	उठाव	प्रतिशत
1	2007–08	378600	357826	94.51
2	2008–09	389340	380565	97.75
3	2009–10	391488	383830	98.04
4	2010–11	391488	383770	98.03

अप्रेल 2011 से दिसम्बर 2011 की अवधि में

क्र. स.	माह	आवंटन	उठाव	प्रतिशत
1	अप्रेल, 2011	32624	31315	95.99
2	मई, 2011	32624	32585	99.88
3	जून, 2011	32624	32246	98.84
4	जुलाई, 2011	32624	32147	98.54
5	अगस्त, 2011	32624	32291	98.98
6	सितम्बर, 2011	32624	32006	98.11
7	अक्टूबर, 2011	32624	32167	98.60
8	नवम्बर, 2011	32624	31497	96.55
9	दिसम्बर, 2011	32624	32254	98.87
	योगः–	**293616**	**288508**	**98.26**

4. अन्नपूर्णा गेंहूँ के आवंटन एवं उठाव की सूचना

(मात्रा मै. टन में)

क्र. सं.	वर्ष	आवंटन	उठाव	प्रतिशत
1	2007–08	12635	11655	92.24
2	2008–09	12635	11536	91.30
3	2009–10	11521	10968	95.20
4	2010–11	12635	11895	94.14

अप्रेल 2011 से दिसम्बर 2011 की अवधि में

क्र. स.	माह	आवंटन	उठाव	प्रतिशत
1	अप्रेल, 2011	1053	93	8.83
2	मई, 2011	1053	1647	156.41
3	जून, 2011	1053	872	82.81
4	जुलाई, 2011	848	35	4.13
5	अगस्त, 2011	848	27	3.18
6	सितम्बर, 2011	848	0	0.00
7	अक्टूबर, 2011	848	0	0.00
8	नवम्बर, 2011	848	475	56.01
9	दिसम्बर, 2011	848	3845	453.42
	योगः–	**8347**	**6994**	**84.81**

योजनावार परिवारों की संख्या

क्र. स.	जिला	एपीएल परिवार	बीपीएल परिवार	स्टेट बीपीएल परिवार	अन्त्योदय परिवार	अन्नपूर्णा लाभार्थी
1	अजमेर	538000	41891	44491	26483	4078
2	अलवर	600204	49858	46271	32424	1872
3	बांसवाडा	149367	90770	67195	61577	3724
4	बांरा	198216	22492	30157	42327	5229
5	बाडमेर	453774	99738	40055	32392	3674
6	भरतपुर	456468	53367	27617	20194	1855
7	भीलवाडा	507816	65596	56029	43099	4355
8	बीकानेर	464458	92731	39701	23625	5336
9	बून्दी	225824	29360	30076	18851	786
10	चित्तौडगढ	312961	29499	54555	50901	1402
11	चूरू	342812	69460	32274	30000	4126
12	दौसा	301835	49446	16182	16872	837
13	धौलपुर	228914	24678	14537	13740	2025
14	डूँगरपुर	103257	98122	49602	52426	5014
15	गंगानगर	482213	73783	19257	17566	554
16	हनुमानगढ	412538	48816	22041	18031	3324
17	जयपुर	1303654	79607	42800	27861	1720
18	जैसलमेर	119813	20108	11843	8075	2893
19	जालौर	321700	57539	32553	32936	3200
20	झालावाड	287834	37710	32688	23062	2342
21	झुन्झुनू	442864	16115	18101	12314	2722
22	जौधपुर	688476	84089	18074	15695	5067
23	करोली	224694	49139	28478	26051	2833
24	कोटा	407016	56500	24134	18299	2920
25	नागौर	693410	51249	37369	24398	10456
26	पाली	474538	50747	32081	26746	2755
27	प्रतापगढ़	108706	43148	29309	25774	885
28	राजसमन्द	211094	46885	23250	28360	2006
29	सीकर	448945	32918	19431	13639	2851
30	सिरोही	254747	23645	22444	15128	1319
31	सवाई माधोपुर	245153	32499	33941	21975	6600
32	टोंक	242752	23623	34220	26324	2497
33	उदयपुर	491511	182024	93489	84956	4036
	योग	12745564	1827152	1124245	932101	105293

परिशिष्ट – 1 "द"

लेवी चीनी के आवंटन एवं उठाव की सूचना

(मात्रा मै.टन में)

क्र.सं.	वर्ष	आवंटन	उठाव	प्रतिशत
1	2007–08	88497	11575	13.08
2	2008–09	99678	23457	23.53
3	2009–10	94583	36263	38.34
4	2010–11	94629	76112	80.43

अप्रेल 2011 से दिसम्बर 2011 की अवधि में (अनंतिम सूचना)

क्र.स.	माह	आवंटन	उठाव	प्रतिशत
1	अप्रेल,11	7464	3456.3	46.31
2	मई, 11	7464	3175.6	42.55
3	जून, 11	7464	2330.68	31.23
4	जुलाई,11	7467.2	3372	45.16
5	अगस्त,11	7467.2	2941.1	39.39
6	सितम्बर,11	7467.2	1255.6	16.81
7	अक्टूबर,11	10015	6052.2	60.43
8	नवम्बर 11	10013.8	5289	52.82
9	दिसम्बर 11	7469	3475.3	46.53
	योगः–	**72291.4**	**31347.78**	**43.36**

केरोसीन के आवंटन व उठाव की सूचना

(मात्रा के.एल. में)

क्र. सं.	वर्ष	आवंटन	उठाव	प्रतिशत
1	2007–08	515604	514126	99.71
2	2008–09	512587	511610	99.81
3	2009–10	511983	512420	100.09
4	2010–11	511632	509276	99.54

अप्रेल 2011 से दिसम्बर 2011 की अवधि में

क्र. स.	माह	आवंटन	उठाव	प्रतिशत
1	अप्रेल,11	42636	42456	99.58
2	मई, 11	42564	42476	99.79
3	जून, 11	42624	42528	99.77
4	जुलाई,11	42612	42572	99.91
5	अगस्त,11	42612	42396	99.49
6	सितम्बर,11	42612	42528	99.80
7	अक्टूबर,11	42612	42452	99.62
8	नवम्बर 11	42612	42588	99.94
9	दिसम्बर 11	42612	42452	99.62
	योगः–	**383496**	**382448**	**99.73**

परिशिष्ट--(2)

दिसम्बर 2011 को कार्यरत उचित मूल्य की दुकानों की जिलेवार स्थिति

क्र.सं.	नाम जिला	उचित मूल्य दुकानों की श्रेणीनुसार स्थिति						
		शहरी		ग्रामीण		कुल		
		सहकारी	निजी	सहकारी	निजी	सहकारी	निजी	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	अजमेर	31	417	144	413	175	830	1005
2	अलवर	19	103	83	766	102	869	971
3	बांसवाड़ा	2	48	100	489	102	537	639
4	बांरा	8	67	27	411	35	478	513
5	बाड़मेर	1	109	183	711	184	820	1004
6	भरतपुर	6	192	53	586	59	778	837
7	भीलवाड़ा	29	112	306	403	335	515	850
8	बीकानेर	21	189	67	517	88	706	794
9	बून्दी	2	92	44	250	46	342	388
10	चित्तौड़गढ़	7	100	89	419	96	519	615
11	चूरू	5	231	125	578	130	809	939
12	दौसा	2	63	74	577	76	640	716
13	धौलपुर	8	72	45	276	53	348	401
14	डूँगरपुर	3	43	108	374	111	417	528
15	गंगानगर	42	186	138	335	180	521	701
16	हनुमानगढ़	42	174	28	432	70	606	676
17	जयपुर	45	666	121	746	166	1412	1578
18	जैसलमेर	9	19	31	257	40	276	316
19	जालौर	6	54	132	428	138	482	620
20	झालावाड़	5	79	61	407	66	486	552
21	झुन्झुनू	5	149	67	517	72	666	738
22	जोधपुर	202	189	275	574	477	763	1240
23	करोली	4	76	50	410	54	486	540
24	कोटा	29	316	60	330	89	646	735
25	नागौर	6	194	88	827	94	1021	1115
26	पाली	8	191	127	439	135	630	765
27	प्रतापगढ़	1	26	47	221	48	247	295
28	राजसमन्द	6	46	69	361	75	407	482
29	सीकर	1	232	84	559	85	791	876
30	सिरोही	8	47	61	274	69	321	390
31	सवाई माधोपुर	3	92	28	410	31	502	533
32	टोंक	1	111	60	388	61	499	560
33	उदयपुर	26	221	186	767	212	988	1200
	योग	593	4906	3161	15452	3754	20358	24112

राज्य सरकार द्वारा दालों के लिए लाईसेंस व्यवस्था लागू कर स्टॉक सीमा तथा टर्न ओवर अवधि का प्रावधान लागू किया हुआ है। यह प्रावधान सितम्बर, 2012 तक की अवधि के लिये लागू किये गये हैं। स्टॉक सीमा एवं टर्न ओवर अवधि के प्रावधान निम्नानुसार हैः–

<table>
<tr><th rowspan="2">नाम वस्तु</th><th rowspan="2">थोक डीलर</th><th rowspan="2">खुदरा डीलर</th><th colspan="2">30 सितम्बर, 2011 तक कार्यरत दाल उत्पादक (मिलर्स)</th><th colspan="2">01 अक्टूबर, 2011 के बाद कार्य प्रारम्भ करने वाला दाल उत्पादक (मिलर्स)</th></tr>
<tr><th>साबुत दलहन</th><th>दली हुई दालें</th><th>साबुत दलहन</th><th>दली हुई दालें</th></tr>
<tr><td>1. चना दाल साबुत एवं दली हुई (केवल चना एवं चना दाल के लिए)

2. दालें साबुत एवं दली हुई (चना दाल के अलावा सभी प्रकार की सम्मिलित)</td><td>2500 क्विं.

3000 क्विं.</td><td>25 क्विं.

30 क्विं.</td><td>गत तीन वर्षो में काम में लिये गये दलहनों के किसी एक वर्ष के (अधिकतम) स्टॉक का औसत 60 दिवस के बराबर</td><td>गत तीन वर्षो में उत्पादन की गई दालों के किसी एक वर्ष के (अधिकतम) स्टॉक का औसत 30 दिवस के बराबर</td><td>मिल की एक वर्ष की स्थापित उत्पादन क्षमता हेतु वांछित दलहनों का औसत 60 दिवस के बराबर</td><td>मिल की एक वर्ष की स्थापित उत्पादन क्षमता का औसत 30 दिवस के बराबर</td></tr>
<tr><td>आवर्तन (टर्न ओवर) अवधि</td><td>75 दिवस</td><td>45 दिवस</td><td colspan="4">45 दिवस</td></tr>
</table>

आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत की गई कार्यवाही की सूचना

क्र. स.	नाम	माह में छापे मारे गये	गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों की संख्या	अदालत में चालान प्रस्तुत किये गये	न्यायालय द्वारा दंडित किये गये व्यक्तियों की संख्या	जब्त किये माल की अनुमानित राशि (लाखों में)
1	2007–08	571	24	188	44	84.01
2	2008–09	798	22	213	8	101.77
3	2009–10	676	69	102	3	303.91
4	2010–11	447	34	168	76	193.33

अप्रेल 2011 से दिसम्बर 2011 की अवधि में (अनंतिम सूचना)

क्र. स.	नाम	माह में छापे मारे गये	गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों की संख्या	अदालत में चालान प्रस्तुत किये गये	न्यायालय द्वारा दंडित किये गये व्यक्तियों की संख्या	जब्त किये माल की अनुमानित राशि (लाखों में)
1	अप्रेल,11	22	9	14	2	14.15
2	मई, 11	50	3	10	0	34.51
3	जून, 11	25	5	7	28	17.78
4	जुलाई,11	33	7	10	2	7.31
5	अगस्त,11	20	0	3	0	8.56
6	सितम्बर,11	21	5	4	0	6.19
7	अक्टूबर,11	66	3	5	0	14.44
8	नवम्बर 11	36	1	2	0	15.68
9	दिसम्बर 11	85	22	77	6	50.32
	योगः–	**358**	**55**	**132**	**38**	**168.94**

वर्ष 2009–10 व 2010–11 के वास्तविक व्यय तथा वर्ष 2010–11 एवं 2011–12 के बजट प्रावधान का विवरण–

(राशि लाखों में)

व्यय बजट शीर्ष/उपशीर्ष	वास्तविक व्यय 2009–10	वास्तविक व्यय 2010–11	मूल प्रावधान 2010–11	संशोधित प्रावधान 2010–11	बजट प्रावधान 2011–12
(मॉग संख्या 32) 3456–नागरिक आपूर्ति, 001–निदेशन एवं प्रशासन, (01) खाद्य आयुक्त के माध्यम से					
[01] मुख्यालय कर्मचारी वर्ग (आयो.भिन्न.)	299.91	289.12	340.89	312.34	350.29
[02] जिला कर्मचारी वर्ग (आ.भि.)	1554.05	1503.74	1937.54	1552.71	1743
–"– चल प्रयोगशाला की स्थापना	0	0	0	0	122.4
—"— प्रभृत व्यय (आ.भि.)	0.28	0.00	0.01	0.01	0.01
[03] उपभोक्ता संरक्षण प्रकोष्ठ (आ.भि.)	878.28	1113.33	1034.11	1209.71	1123.31
[04] उपभोक्ता मामले निदेशालय (आ.भि.)	3.36	5.92	8.47	7.72	8.98
कुल योग (दत्तमत)	**2735.88**	**2912.11**	**3321.02**	**3082.49**	**3347.99**
कुल योग (प्रभृत)	**0.28**	**0.00**	**0.01**	**0.01**	**0.01**
3456–नागरिक आपूर्ति, 102–सिविल पूर्ति योजना, (02) खाद्यान्न वितरण					
[01] अन्त्योदय अन्न योजना, 91–सहायय् (आ.भि.)	1499.33	2359.73	1500.00	2425.00	2425.00
[02] मुख्यमंत्री अन्न सुरक्षा योजनान्तर्गत बी.पी.एल. अन्न योजना, 91–सहायय् (आ.भि.)	0.00	22595.94	0.01	24400.00	16250.00
[03] मुख्यमंत्री अन्न सुरक्षा योजनान्तर्गत स्टेट बीपीएल अन्न योजना, 91–सहायय् (आ.भि.)					8100.00
[04] फूड स्टेम्प योजना, 91–सहायय् (आ.भि.)	0.00	0	0.00	0.00	50.00
योग (खाद्यान्न वितरण)	**1499.33**	**24955.67**	**1500.01**	**26825.00**	**26825.00**
3456–नागरिक आपूर्ति, 102–सिविल पूर्ति योजना,(01) खाद्यान्न संभरण [02] वितरण (केरोसीन समानीकरण राशि का भुगतान) (आ.भि.)	0.00	0	0.00	0.00	20000.00
कुल योग (आ.भि.)	**4235.49**	**27867.78**	**4821.04**	**29907.50**	**50173.00**

अन्नपूर्णा योजना (आयोजना)					
3456-00-102-(01)-[04]-12	520.56	577.26	689.57	689.57	479.47
3456-00-102-(01)-[04]-62					15.00
3456-00-789-(01)-[01]-12					113.95
3456-00-789-(01)-[01]-62					4.00
3456-00-796-(01)-[01]-12					84.08
3456-00-796-(01)-[01]-62					3.50
योग (अन्नपूर्णा)	**520.56**	**577.26**	**689.57**	**689.57**	**700.00**
राशन टिकट योजना (आयोजना)					
3456-00-102-(01)-[07]-39	40.36	0.63	50.00	16.63	24.03
3456-00-789-(01)-[02]-39					8.45
3456-00-796-(01)-[02]-39					6.26
योग (राशन टिकट योजना)	**40.36**	**0.63**	**50.00**	**16.63**	**38.74**
5475-00-102-(09)-[00]-17 उपभोक्ता संरक्षण के तहत राज्य आयोग एवं जिला फोरमों का आधुनिकीकरण –वृहद निर्माण कार्य (आयोजना)	0.00	0.00	10.43	18.80	11.27
3456-00-102-(04)-[00]-91 घरेलू गैस सिलेण्डर पर अनुदान (आयोजना)	0.00	0.00	0.00	0.00	9000.00
3456-00-190-(01)-[00]-12 राज.राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड को सहायतार्थ अनुदान (आयोजना)	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01
5475-00-190-(03)-[00]-73 रा.रा.ना.आ.नि.लि. में पूँजी विनियोजन (आयोजना)	0.00	5000.00	0.00	5000.01	0.01
3456-00-190-(01)-[00]-12 रा.रा.ना.आ.नि.लि. को उधार (आयोजना)	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01
कुल योग (आयोजना व्यय)	**560.92**	**5577.89**	**750.00**	**5725.03**	**9750.04**

वर्ष 2009–10 व 2010–11 के वास्तविक व्यय तथा वर्ष 2010–11 एवं 2011–12 के बजट प्रावधान का विवरण–

(राशि लाखों में)

व्यय बजट शीर्ष/उपशीर्ष	वास्तविक व्यय 2009–10	वास्तविक व्यय 2010–11	मूल प्रावधान 2010–11	संशोधित प्रावधान 2010–11	बजट प्रावधान 2011–12
3456-00-001-(01)-[03]-28 उपभोक्ता संरक्षण प्रकोष्ठ (केन्द्र प्रवर्तित योजना)					
(i) उपभोक्ता मंचों के सुदृढीकरण (के.प्र.यो.)	3.36	13.15	0.01	15.59	0.01
(ii) उपभोक्ता जागरूकता हेतु सहायता (के.प्र.यो.)	0.00	3.66	0.00	44.99	0.00
योग (उपभोक्ता संरक्षण प्रकोष्ठ)	**3.36**	**16.81**	**0.01**	**60.58**	**0.01**
5475-00-102-(09)-[00]-72 उपभोक्ता संरक्षण के तहत राज्य आयोग एवं जिला फोरमों का आधुनिकीकरण, सुदृढीकरण नवीनीकरण एवं उन्नयन व्यय (के. प्र.यो.)	5.97	70.60	0.01	80.00	91.66
3456–001–01–03 उप–हैल्प लाईन की स्थापना (के.प्र.यो.)	0.00	0.00	0.00	0.00	27.60
कुल योग (केन्द्र प्रवर्तित योजना)	**9.33**	**87.41**	**0.02**	**140.58**	**119.27**

वर्ष 2009–10 व 2010–11 की वास्तविक व्यय तथा वर्ष 2010–11 एवं 2011–12 के बजट प्रावधान का विवरण–

राजस्व बजट शीर्ष/उपशीर्ष	वास्तविक व्यय 2009–10	वास्तविक आय 2010–11	मूल प्रावधान 2010–11	संशोधित प्रावधान 2010–11	मूल प्रावधान 2011–12
1475–अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं से प्राप्तियॉ, 800 अन्य प्राप्तियॉ					
04–अन्य विविध प्राप्तियॉ	153.71	4087.20	185.00	140.02	150.25
05–परिवहन समानीकरण से प्राप्तियां	3088.75	632.47	450.00	680.85	651.85
06–अंतर राशि से प्राप्तियॉ–01–खाद्यान्न	7.40	57.34	3.05	28.51	9.60
06–अंतर राशि से प्राप्तियॉ–02–केरोसीन	22.23	67.38	9.00	47.03	50.50
07–उप. संरक्षण के तहत जिला मंचों में परिवाद दायर करने हेतु फीस	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01
कुल आय	**3272.09**	**4844.39**	**647.06**	**896.42**	**862.21**

खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग

प्रशासनिक संरचना

राज्य स्तर

माननीय मंत्री, खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग

प्रमुख शासन सचिव एवं पदेन आयुक्त

(1)

अतिरिक्त खाद्य आयुक्त एवं पदेन निदेशक, उपभोक्ता मामले

(1)

उपायुक्त एवं पदेन उप शासन सचिव उपायुक्त (खाद्य)	सहायक आयुक्त	सहायक निदेशक (सांख्यिकी)	स. विधि परामर्शी	वित्तीय सलाहकार
(2)	(1)	(1)	(1)	(1)

सूचना एवं जन संपर्क अधिकारी	जि.र.अ. (सतर्कता)	सहायक लेखाधिकारी
(1)	(1)	(1)
कार्यालय अधीक्षक	प्रवर्तन अधिकारी	प्रवर्तन निरीक्षक
(1)	(2)	(2)

संभाग स्तर

संभागीय आयुक्त (मुख्यालय)

(7)

प्रवर्तन अधिकारी (संभागीय आयुक्त कार्यालय)

(6)

जिला स्तर

जिला कलक्टर्स रसद (33)

जिला रसद अधिकारी (34)

अतिरिक्त जिला रसद अधिकारी (2)

प्रवर्तन अधिकारी (96) प्रवर्तन निरीक्षक (253)

- बीपीएल, अन्त्योदय एवं असहाय परिवारों को खाद्य सुरक्षा
- सार्वजनिक वितरण प्रणाली का संचालन एवं क्रियान्वयन
- न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खाद्यान्नों की खरीद
- आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 का क्रियान्वयन
- उपभोक्ता संरक्षण हेतु प्रभावी प्रयास

मुद्रक : राजस्थान राज्य सहकारी मुद्रणालय लिमिटेड, जयपुर